बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

बृहस्पतिवार, तिथि २ जून १९६०।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में बृहस्पतिवार, तिथि २ जून १९६० को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

विधान कार्य : सरकारी विधेयक।

LEGISLATIVE BUSINESS : OFFICIAL BILL.

बिहार स्टेट युनिवर्सिटीज (पटना, यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, भागलपुर एन्ड रांची) बिल, १९६० (१९६० की वि० सं० ८)।

THE BIHAR STATE UNIVERSITIES (PATNA, UNIVERSITY OF BIHAR, BHAGALPUR AND RANCHI) BILL, 1960. [L. A. BILL NO. 8 OF 1960.]

***Shri BADRI SINGH :** Sir, I beg to move :

"That the explanation to item (*d*) of clause 2 of the Bill, *be deleted*."

अध्यक्ष महोदय, आईटम (डी०) क्लॉज २ में कॉलेज की व्याख्या की गयी है कि कॉलेज कैसा हो। लेकिन एक्सप्लानेशन में दिया हुआ :

"For the purpose of clause (*j*) of section 30, sub-sections (2) and (3) of section 39 and sections 40, 45 and 47, the expression "college" does not include any college owned and maintained by the State Government and not transferred to the University under sub-section (1) of section 57."

अध्यक्ष महोदय, सरकार चाहती है कि जिन कॉलेजों को सरकार चलाती है उन पर युनिवर्सिटी का नियंत्रण नहीं रहे। जिन कालेजों को युनिवर्सिटी चलाती है उनके खर्च का सही हिसाब-किताब उनको रखना पड़ता है लेकिन सरकार चाहती है कि सरकार द्वारा चलनेवाले कॉलेजों में यह बात नहीं रहे। मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं हो, इसके बाद क्लॉज ३७(1) (*i*) में है :

"The State Government shall contribute annually to the University Fund including the funds of the colleges a recurring grant which shall include all such expenses, not being expenses of a capital or non-recurring nature, etc."

इसके बाद क्लाज ३९ में लिखा हुआ है :

"(2) All grants-in-aid to the colleges by the State Government shall, after the commencement of this Act, be made available to such colleges through the University Fund in such manner and subject to such conditions as may be specified in the rules made in this behalf by the State Government.

(3) The State Government may contribute, from time to time, such additional grants to the University Fund or the funds of the colleges, as the case may be, as it may deem fit having regard to the need of expansion and development of University or the colleges".

मेरे कहने का मतलब है कि जैसा नियम बनाया गया है सरकार एक ऐडिशनल अनुदान देने की व्यवस्था कर रही है और यह उन्हीं कॉलेजों को देगी जिनको वह देना चाहती है और जिनको नहीं चाहती है उनको नहीं देगी।

अध्यक्ष—इसको हटा देने से आप सरकार को रोक देते हैं ?

श्री बदरी सिंह—मैं चाहता हूँ कि युनिवर्सिटी का नियंत्रण हो।

अध्यक्ष—आप तो केवल एक्सप्लानेशन हटाना चाहते हैं, क्लॉज तो रह जाता है।

श्री बदरी सिंह—क्लॉज ३९ के अलावे क्लॉज ४० में और ४५ में आर्थिक नियंत्रण के लिये जो ऑडिट की व्यवस्था की गई है उसके मुताबिक वे चाहते हैं कि यह युनिवर्सिटी द्वारा नहीं हो। क्लॉज ४७ में जो फाइनेंस कमिटी के निर्माण की बात कही गई है और इसकी व्यवस्था की गई है कि कॉलेज का या युनिवर्सिटी का हिसाब किताब ठीक रखने के लिये, बजट तैयार करने के लिये और युनिवर्सिटी पर आर्थिक नियंत्रण कड़े ढंग से हो।

अध्यक्ष—अगर आप एक्सप्लानेशन को हटा देंगे तो क्लॉज की बात तो रह ही जायेगी और एक्सप्लानेशन में जो ट्रान्सफर करने की बात है वह भी साफ नहीं रहेगी, इससे तो आपको मतलब सधता नहीं है। एक्सप्लानेशन से सब बात साफ हो जाती है।

श्री बदरी सिंह—हमारा यही कहना है कि अगर हिसाब-किताब और बजट बनाने का काम युनिवर्सिटी के हाथ में नहीं रहा तो फिर सरकार स्वयं अपने मन से यह काम करेगी और जिसको ये मदद करना चाहेंगे, मदद करेंगे। जो केवल कॉलेज सरकार के कब्जे में है और युनिवर्सिटी का अधिकार उस पर नहीं है, उसको तो आप जितना खर्च चाहेंगे देंगे, इसलिये मैं चाहता हूँ कि जो कॉलेज सरकार के अधीन है उसे अविलम्ब युनिवर्सिटी में ट्रांसफर कर दिया जाय।

अध्यक्ष—वह तो बिल के स्कोप के बाहर की बात है, अभी यह देखना है कि एक्सप्लानेशन से क्या दिक्कत है ?

श्री बदरी सिंह—यही हमारा कहना है कि सरकार द्वारा संचालित जितने भी कॉलेज हैं, उनको युनिवर्सिटी के अधीन कर दिया जाय ताकि इसमें एक युनिफॉर्मिटी हो।

अध्यक्ष—इस बिल में तो वह स्कीम नहीं है। जिस कॉलेज को ट्रान्सफर किय जायेगा उस पर यह एक्सप्लानेशन अप्लाई करेगा लेकिन अगर एक्सप्लानेशन आप हटा देंगे तो ट्रान्सफर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।

श्री बदरी सिंह—मेरा यह कहना है कि सेक्शन ४७ में जो फाइनेन्स कमिटी बनने की बात है जिसका कर्तव्य होगा हर कॉलेज और युनिवर्सिटी के बजट को तैयार करन और कॉलेज जो अपना बजट तैयार करे उसकी छानबीन करना। किस कॉलेज को क्या ग्रान्ट-इन-एड दिया जाय, किस कॉलेज को कितना आर्थिक अनुदान दिया जाय वह देखने का अधिकार फाइनेन्स कमिटी को रहेगा और इस तरह युनिवर्सिटी का कब्जा उस पर नहीं रहता है। हो सकता है कि युनिवर्सिटी की समझ में किसी कॉलेज को अधिक रुपये देने की आवश्यकता हो लेकिन फाइनेन्स कमिटी के फैसले पर सब निर्भर करेगा। हमारा कहना है कि यह सब अधिकार युनिवर्सिटी को होना चाहिये और साथ-साथ जो सरकार द्वारा संचालित कॉलेज हैं उनपर भी युनिवर्सिटी का अधिकार हो। शिक्षण में समानता होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। जब युनिवर्सिटी बन गयी है तो सभी कॉलेजों पर युनिवर्सिटी का ही पूरा अधिकार रहना चाहिए।

अध्यक्ष—एक्सप्लानेशन को हटा दिया जाता है तो क्या आपको सब अधिकार हो जाता है।

श्री बद्री सिंह—उसके बाद सेक्शन ५७ में है।

अध्यक्ष—गवर्नमेंट दे दे तो आपको सब अधिकार हो जायगा। इसमें एक्सप्लानेशन से क्या मतलब है। आप उल्टा कह रहे हैं।

श्री कृष्णकान्त सिंह—अध्यक्ष महोदय, हम समझते थे कि हमारे माननीय सदस्य जब अमेंडमेंट मूव करेंगे तो ज्वायंट सिलेक्ट कमिटी के रिपोर्ट को सामने रखेंगे और साथ ही युनिवर्सिटी ऑफ बिहार ऐक्ट को भी सामने रखेंगे। उसमें जो एक्सप्लानेशन है वही एक्सप्लानेशन इसमें भी है। पुराने ऐक्ट के एक्सप्लानेशन में लिखा है कि :

"*Explanation.*—For the purposes of clause (*j*) of section 29, sub-sections (2) and (3) of section 38 and sections 39, 44 and 45, the expression "college" does not include any college owned and maintained by the State Government and not transferred to the University under sub-section (1) of section 55."

अध्यक्ष—पहले ऐक्ट को आप रिपील करते हैं इसलिए इसको ला रहे हैं।

*श्री कृष्णकान्त सिंह—जी हां। जो कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट के पास है उनको जबतक ट्रान्सफर नहीं करते हैं तबतक एक्सप्लानेशन लागू रहेगा। क्योंकि कॉलेज को हम पैसा देते हैं, उसको डायरेक्टली ऑडिट कराते हैं। जहां तक शिक्षा का सवाल है कोर्सेज वगैरह सब युनिवर्सिटी के रहते हैं। इसलिये एक्सप्लानेशन रखा गया है।

श्री रमाकान्त झा—उन कॉलेजों को आप ट्रान्सफर क्यों नहीं कर देते हैं।

श्री रामजनम ओझा—अध्यक्ष महोदय, जो अमेंडमेंट बदरी बाबू ने रखा है उसका मतलब यही है कि जितने भी कॉलेज होंगे वे युनिवर्सिटी के होंगे। कॉलेज दो तरह के हैं। एक तो वे हैं जो डायरेक्टली युनिवर्सिटी से मेन्टेन किये जाते हैं और दूसरे प्राइवेट या गवर्नमेंट द्वारा मेन्टेन किये जाते हैं। मेरा कहना है कि आपका जो यह बिल है वह दोनों तरह के कॉलेजों पर लागू होता है लेकिन इसका सेक्शन ३० (जे) कहता है कि 30 *Statutes*.—Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely :—

(j) the maintenance of accounts of the income and expenditure of the University including the income and expenditure of colleges and the forms and registers in which such accounts shall be kept ;

यानी सभी कॉलेजों के आमद और खर्च आदि को मेन्टेन करने के लिए एक तरह के फॉर्म, रजिस्टर आदि की जरुरत है। मैं यह नहीं कहता कि आप युनिवर्सिटी द्वारा जो मेन्टेन किये जाने वाले कॉलेज हैं उनका जो फार्म और रजिस्टर है उसी को मानिये, मेरा मतलब यह है कि जो भी फार्म या रजिस्टर आपको अच्छा जंचे उसको दोनों तरह के कॉलेजों के लिए रखिये। चाहे वे प्राइवेट हों या युनिवर्सिटी द्वारा मेन्टेन हों।

अब मैं आपका ध्यान क्लॉज ३९ की ओर लाता हूँ। उसमें है कि स्टेट गवर्नमेंट एक लम्प सम ग्रान्ट युनिवर्सिटी को दे देगी और युनिवर्सिटी फिर उसको दूसरे कॉलेजों को देगी। उसके बाद क्लॉज ४० आता है। उसमें आप हिसाब-किताब एक प्रेस्क्राइब फार्म में रखेंगे। उसके आगे जो सेक्शन ४५ ऑडिट का है उसमें सभी तरह के कॉलेजों को युनिवर्सिटी ऑडिट करायेगी और आप भी ऑडिट करायेंगे और एकाउन्टेन्ट जेनरल के यहां से भी ऑडिट होगा। उसी तरह आपके द्वारा मेन्टेन किये जाने वाले जो कॉलेज हैं उनका ऑडिट आप करेंगे और उसके बाद यदि युनिवर्सिटी करना चाहे तो आप उसको अधिकार नहीं देते हैं। इसमें पता नहीं, हमारे कृष्णकान्त बाबू को क्या एतराज है। यह बात नहीं मानी जा सकती है कि आपका एकाउन्ट ठीक हो और दूसरे का गलत। इसलिये आपके द्वारा जो कौलेज मेन्टेन किये जाते हैं उनका ऑडिट करने का अधिकार युनिवर्सिटी को होना चाहिए। वहां कॉलेज का इतना ही मतलब है कि जब सेक्शन ४७ के मुताबिक कमिटी कॉलेज के एस्टीमेट्स को स्क्रूटीनाइज करेगी और कॉलेज के बजट को देखेगी तो मेरी समझ में डिपार्टमेंट को विशेष कठिनाई होगी। इसीलिये जहां-जहां ऐसे कॉलेजों का जिक्र है इस तरह का प्रबन्ध है। ऑडिट के सवाल के सम्बन्ध में उनके बजट को सिन्डीकेट देख सकती है और इसको देख सकती है कि इसको किस तरह मेन्टेन करते हैं, युनिवर्सिटी रूल के मुताबिक मेन्टेन करते हैं या नहीं। इसमें मुझको कोई हर्ज नहीं मालम होता है और मैं यह नहीं समझता कि गवर्नमेंट को विरोध करना

चाहती है इन कॉलेजों के सम्बन्ध में जिनको वह मेन्टेन करती है। जहां तक सेक्शन ३९ का सवाल है कि गवर्नमेंट द्वारा मेन्टेन्ड कॉलेजों को, डायरेक्ट खर्च देते हैं और युनिवर्सिटी के मार्फत नहीं देते हैं तो यह विचारणीय बात है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बदरी बाबू के संशोधन का समर्थन करता हूँ।

श्री बदरी सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैंने उन विचारों को व्यक्त किया कि राजकीय कॉलेजों के ऊपर जो युनिवर्सिटी के अधिकार अभी हैं उनको देना चाहिये। उससे शिक्षा की वृद्धि हो ऐसी बात नहीं है ......

अध्यक्ष—जिन कॉलेजों को ट्रान्सफर नहीं करेंगे।

श्री बदरी सिंह—जी हां, तो ऐसी हालत में यह चाहते हैं कि जिन कॉलेजों का यह नियंत्रण कर रहे हैं अभी उनके ऊपर सेक्शन ३९, ४४ और ४७ में दिये गये व्यवस्था को लागू नहीं करे। मैं चाहता हूँ कि यह व्यवस्था लागू हो। मैं चाहता हूँ कि युनिवर्सिटी का नियंत्रण रहे और शिक्षा मिले। आर्थिक सुविधाओं की वजह से उनकी प्रगति में काफी अन्तर पड़ सकता है। हम चाहते हैं कि सभी कॉलेजों को युनिवर्सिटी देखे और उनपर युनिवर्सिटी का अधिकार रहे। इसलिये यह जरुरी है कि जो छूट यह देना चाहते हैं वह नहीं रहे। इसलिये मैंने अपने संशोधन को पेश किया है।

*श्री कृष्णकान्त सिंह—जैसा मैंने पहले बतलाया कि गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं वह पहले भी थे और आज भी हैं और उन सभी को हमने अपने कंट्रोल में रखा है। मैंने कल कहा था कि सिन्दरी और पटना इंजीनियरिंग कौलेज दोनों ही इस स्टेट में हैं। सिन्दरी कौलेज को हमने खोला और आज वह गवर्नमेंट कॉलेज है और इंजीनियरिंग कॉलेज पहले हमारे कंट्रोल में था लेकिन अब ट्रान्सफर कर दिया है पटना युनिवर्सिटी को, इन दोनों की प्रगति में क्या अन्तर है वह आप खद समझ सकते हैं। इसलिये श्री रमाकान्त झा ने कहा कि क्यों नहीं ट्रान्सफर करते हैं तो वह खुद ही समझ लें कि क्यों नहीं ट्रांसफर करते हैं। हमारे माननीय रामजनम ओझा जी गवर्नमेंट के ऊपर युनिवर्सिटी का ऑडिट रखना चाहते हैं। वह एक इनफिरियर बॉडी को एक सुपीरियर बॉडी पर सुपर-इंपोज करना चाहते हैं।

He wants an audit upon the rights of the members of the Legislature.

हम कहते हैं कि गवर्नमेंट की ऑडिट हो युनिवर्सिटी के ऊपर इसलिये कि जो ऑडिट होगी उसकी रिपोर्ट आपके सामने आवेगी। हम आपके अस्तित्व को बचाकर रखना चाहते हैं। आप भले ही उसको नहीं रखना चाहें लेकिन मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्यों का अस्तित्व जनम भर कायम रहे। तीन प्रकार के कंट्रोल हैं। प्रशासकीय कंट्रोल, आर्थिक कंट्रोल और शिक्षण कंट्रोल। इनमें शिक्षण कंट्रोल हम आपको दे देना चाहते हैं। आप एकेडमिक काउन्सिल, बोर्ड ऑफ स्टडीज, एक्जामिनेशन बोर्ड जिस तरह से करना चाहें उस तरह से करें इसमें हमको कोई एतराज नहीं है लेकिन उसके विकास और प्रशासन पर हमको अपना अधिकार रखना जरूरी है क्योंकि हम काफी ग्रान्ट देते हैं और हम यह देखना चाहेंगे कि किस तरह से काम हो रहा है। इसीलिये हम ऑडिट कराना चाहते हैं। जहां तक ऐफिलियेशन का सवाल है, ऐफिलियेशन गवर्नमेंट द्वारा नहीं

होता है और कौलेज हमने दे दिया है, जैसे पटना कौलेज, साइन्स कौलेज को दे दिया है युनिवर्सिटी को, उसके, सम्बन्ध में हमको कुछ नहीं कहना है। जो इंस्टीच्यूशन हम अभी मेन्टेन करते हैं उन पर आर्थिक कंट्रोल और प्रशासकीय कंट्रोल हमारा रहना चाहिये और इसी कारण मैं अमेंडमेंट का विरोध करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है:

That the Explanation to item (*d*) of clause 2 of the Bill *be deleted.*

The motion was negatived.

अध्यक्ष—श्री राम जनम महतो का जो अमेंडमेंट है, आइटम ३, उसमें मुझको एक आपत्ति है। यह अनिश्चित है। मैंने अभी अपना फैसला नहीं दिया है लेकिन मैं जानना चाहता हूँ what does he mean by "politics" which word he has used in the text of his amendment ?

श्री राम जनम महतो—हमारा मतलब यह है कि आप देख रहे हैं कि कितनी किस्म की संस्थायें हैं: कांग्रेस, पी० एस० पी०, झारखंड और भी कितनी पार्टियां हैं।

SPEAKER : "One who does not take part in any political organisation or is a member of any political party" आप इस तरह कर दीजिये तो हम लेने को तैयार हैं।

Shri KAPILDEO SINGH : या इस तरह कर दें "one who takes part in politi cal organisation except Congress Orga is ation."

श्री बीरचन्द पटेल—अगर आप मूव कर दीजिये तो हमलोग मान लेने को तैयार हैं।

अध्यक्ष—अगर आप अपना अमेंडमेंट मूव करना चाहते हैं तो उसको अमेंड कर दीजिये।

Shri RAM JANAM MAHTO : "and who does not take part in any political organisation". कर देने से भी तो हो सकता है।

अध्यक्ष—यह इनडिफीनिट है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—लेकिन इसके अमेंडमेंट को सरभाइव करने का चांस है।

SPEAKER : Disallowed— as being va ue,

श्री कामदेव प्रसाद सिंह का अमेंडमेंट है:

"Provided that not withstanding anything contained in this Act persons or classes of persons who were recognised as members

of teaching staff by the Academic Council or any other body of the Patna University or University of Bihar under the Bihar Act XXV and XXVII of 1951 shall be teachers under this Act.
क्लाज ६३ में तो यह है। उसमें दिया हुआ है:

The enactments in the Schedule annexed to this Act are hereby repealed, provided that all appointments made, orders issued, degrees conferred, privileges granted or other things done under any such enactments and inforce immediately before the commencement of this Act shall so far as they are not inconsistent with this Act be deemed to have been respectively made, issued, conferred, granted or done under this Act.

आपका अमेंडमेंट रिडंडेंट हैं। डिसएलाउड।

श्री कामदेव प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, वह क्लियर नहीं हुआ है इसलिये हम उसको क्लियर करना चाहते हैं। मुझे मूव करने दिया जाय। यह आउट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

अध्यक्ष—मैंने इसे डिसएलाउ किया। यह रिडंडेंट है।

सीरियल नं० ५ श्री रामजनम महतो का संशोधन है। डिसएलाउड।

Shri IGNES KUJUR : Sir, I beg to move that in sub-clause (r) of clause 2 of the Bill, for the words "the Ranchi University" the words "the University of Jharkhand" be sustituted, and be deemed to be substituted wherever they occur in the clauses, title and preamble of the Bill.

अध्यक्ष—आप केवल फर्स्ट पार्ट को ही मूव कीजिये और इसका दूसरा पार्ट तो कन्सिक्वेन्शियल है।

***Shri IGNES KUJUR :** Sir, I beg to move :

That in sub-clause (r) of clause 2 of the Bill, for the words "the Ranchi University", the words "the University of Jharkhand be *substituted.*

जब पहले पहल हमलोगों ने यह सुना कि छोटानागपुर के लिये सरकार एक युनिवर्सिटी बनाने जा रही है तो उस समय हमलोगों ने यह नहीं सोचा था कि एक साथ ही चार युनिवर्सिटीज बनाने के लिये एक बिल आवेगा। हमने सोचा था कि जब सरकार छोटानागपुर के लिये एक युनिवर्सिटी बनाने जा रही है तो उसके लिये एक अलग बिल सदन के सामने आवेगा और तब हमलोग उस पर अपना संशोधन पेश करेंगे। जब आप छोटानागपुर के लिये एक अलग युनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं तो वाजिब यही है कि उसका नाम उस क्षेत्र के कल्चरल बैकग्राउन्ड पर होना चाहिये। वह एक अंडरडेवलप्ड एरिया है और जब वहां के लोगों की शिक्षा के विकास के लिये एक युनिवर्सिटी कायम करने जा रहे हैं तब उस युनिवर्सिटी का नाम भी उस क्षेत्र के नाम पर होना चाहिये और वह नाम झारखंड होना चाहिये। इसका हिस्टोरिकल नाम झारखंड बहुत पहले से ही है और कलकत्ता युनिवर्सिटी के अन्थ्रोपोलोजी के प्रोफेसर श्री पी० सी० मजुमदार का यह कहना

है कि उस क्षेत्र का झारखड नाम सिक्स्थ सेन्चुरी बी० सी० में भी था। यही नाम बहुत दिन तक रहा और जब बिहार बंगाल से अलग हुआ तब वह नन-रेगुलेटेड प्रोविन्स था और एक कमिश्नर के अधीन था। १९३५ के ऐक्ट के अनुसार भी उसका शासन अलग रहा और उसे पारशियली एक्सक्लुडेड एरिया ही माना गया। स्वराज्य होने के पहले झारखंड अलग प्रांत बने इसके लिये आंदोलन चल रहा था और बहुत तेजी पर था। लेकिन उस समय के देश के बड़े-बड़े नेता लोगों ने कहा कि पहले अंग्रेज को तो चले जाने दीजिये तब हमलोग उस क्षेत्र के विकास के लिये सभी चीज का इंतजाम कर देंगे। अब स्वराज्य होने के इतने दिनों के बाद वहां के लोगों के विकास के लिये जब आप एक युनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं तब उसका नाम झारखंड भी तो रहने दीजिये। जब उस इलाके के लोगों के विकास के लिये युनिवर्सिटी कायम करने जा रहे हैं तो उस इलाके के नाम पर ही इस युनिवर्सिटी का भी नाम रहना चाहिये। इसी मकसद से यह संशोधन पेश किया गया है और सरकार से अनुरोध है कि वह इसे मान लें।

श्री कृष्णकांत सिंह—अध्यक्ष महोदय, हमारे इगनेस कुजूर साहब को साफ झलक गया होगा कि वहां की युनिवर्सिटी का नाम रांची क्यों रखा गया है। जहां पर कोई युनिवर्सिटी कायम होती है उसी जगह का नाम उसे दिया जाता है और इसलिये जब पटना में है तो पटना युनिवर्सिटी और जब भागलपुर में होने जा रहा है तो भागलपुर युनिवर्सिटी इस बिल में नाम दिया गया है। बिहार युनिवर्सिटी तो १९५१ में ही कायम हुई और जब दो नाम देने की जरूरत हुई तो जो पटना में युनिवर्सिटी थी उसका नाम पटना युनिवर्सिटी और बाद के जितने कॉलेजेज थे उसके लिये बिहार युनिवर्सिटी बनी। अब जब एक बिहार नाम की युनिवर्सिटी बन गयी तब उस नाम को रख लिया गया है। जिसमें यह नाम मृत न हो जाय और उसका एक्जीस्टेन्स खतम न हो जाय। इसके अलावे भागलपुर में जो युनिवर्सिटी कायम होने जा रही है उसका नाम भागलपुर रखा जा रहा है और रांची में जो युनिवर्सिटी कायम होने जा रही है उसका नाम रांची युनिवर्सिटी इस बिल में दिया गया है। इसी तरह से लंदन में जो युनिवर्सिटी है उसका नाम लंदन युनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज में जो युनिवर्सिटी है उसका कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी और नालंदा में जो युनिवर्सिटी थी उसका नाम नालंदा युनिवर्सिटी रखा गया था। बिहार युनिवर्सिटी तो इसलिये रखा गया है और जैसा हमारे राम जनम ओझा जी ने प्रोपोज भी किया था जिसमें इस युनिवर्सिटी की गणना जब इन्टर युनिवर्सिटी बोर्ड में हो चुकी है तब वह खतम न हो जाय और इसलिये जब हम बिहार युनिवर्सिटी ऐक्ट को रिपील भी करने जा रहे हैं तो एक युनिवर्सिटी का नाम बिहार युनिवर्सिटी रख लिया गया है।

श्री लक्ष्मी नारायण सुधांशु—मैं कह देना चाहता हूं कि बिहार युनिवर्सिटी इसलिये नाम पड़ा था कि चूंकि पटना युनिवर्सिटी और बिहार युनिवर्सिटी दोनों का हेडक्वार्टर पटने में ही रहा।

श्री कृष्णकांत सिंह—इसलिये तो मैं कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न नहीं उठना चाहिये। नागपुर, कलकत्ता युनिवर्सिटी और बर्द्धमान, गोरखपुर युनिवर्सिटी सभी नाम स्थान के आधार पर पड़े। पुराने जमाने से लेकर नये जमाने तक जितनी भी युनिवर्सिटीज खुली और खुल रही हैं सभी वहां के स्थान के नाम पर ही रखा जाता है। प्लेस का

ख्याल रखना जरूरी है। रांची युनिवर्सिटी खुल रही है और उसका हेडक्वाटर्स रांची में ही रहेगा, इसलिये रांची नाम रखना ही ठीक होगा। रांची नाम रखने से छोटानागपुर को महत्ता कम हो जायगी, ऐसी बात में नहीं मानता हूं। रांची को महत्ता छोटानागपुर के लिये छोटानागपुर की महत्ता रांची के लिये है। छोटानागपुर नाम नहीं रखने से छोटानागपुर की महत्ता कम हो जायगी, ऐसी बात नहीं हो सकती है। जैसा हर जगह में युनिवर्सिटी का नाम वहां के स्थान के आधार पर रखा गया है, वैसे ही रांची युनिवर्सिटी का नाम भी रांची के नाम पर रखा गया है। फिर आप कह सकते हैं कि रांची को रेसीडेनशियल युनिवर्सिटी कर दीजिये और छोटानागपुर अलग युनिवर्सिटी रखिये, तो यह सब गड़बड़ी हो सकती है। इसलिये बिहार युनिवर्सिटी के साथ जो सवाल पैदा हो गया है वही सवाल फिर पैदा हो सकता है, इसलिये आपको इससे लेसन लेना चाहिये। मैं कहता हू कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है और रांची युनिवर्सिटी नाम रखना ही ठीक है।

श्री इगनेश कुजूर—माननीय उप-मंत्री ने कहा है कि जहां भी युनिवर्सिटी बनायी

जाती है उसका नाम वहां के स्थान के आधार पर ही रखा जाता है, इसलिये रांची युनिवर्सिटी का नाम भी वहां के स्थान के आधार पर रखा गया है। फिर वे यह कहते हैं कि युनिवर्सिटी ऑफ बिहार का नाम महत्ता के लिये रखा गया है। मैं भी तो वही कहता हूँ कि जब आप बिहार के नाम पर युनिवर्सिटी ऑफ बिहार रखते हैं तो छोटानागपुर के ऊपर भी तो छोटानागपुर की जनता को अभिमान है क्यों नहीं आप युनिवर्सिटी ऑफ झारखंड रख देते हैं। झारखंड का नाम बहुत पुराने जमाने से चल रहा है, इसलिये झारखंड के नाम पर इस युनिवर्सिटी को होना चाहिये। मैं अपने संशोधन को वापस नहीं लेता हूँ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है:

That in sub-clause (*r*) of clause 2 of the Bill, for the words "the Ranchi University" the words the University of "Jharkhand" be substituted.

The motion was negatived.

Shri **CHANDRADEO PRASAD VERMA** : I beg to move :

That in sub-clause (*t*) of Clause 2 of the Bill *after* the words "post-graduate standard" occurring in line 5, the words "and guiding research work in the subject" *be inserted.*

अध्यक्ष महोदय युनिवर्सिटी के प्रोफेसर का काम इतना कम रहता है कि ज्यादा-से-ज्यादा हफ्ते में एक-दो लेक्चर का ही हिसाब रहता है और इसलिये मैंने यह आवश्यक समझा।

अध्यक्ष—बिना रिसर्च शब्द रखे हुए काम नहीं चलेगा?

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा—जी हां, बिना रखे हुए काम नहीं होगा। पटना युनिवर्सिटी

में ऐसी व्यवस्था है, लेकिन कोई काम नहीं होता है इसलिये मैंने इसकी जरूरत समझी है। अब आप देखें कि प्रिंसिपल का वेतन है ६०० से १,००० तक और इनलोगों का

वेतन है ८०० से १,२०० तक। इतने पैसे मिलते हैं और एक या दो लेक्चर इन्हें देना पड़ता है। ज्यादा-से-ज्यादा सप्ताह में ६-७ लेक्चर मुश्किल से होता होगा। इसलिये हमने सोचा है कि रिसर्च का काम इनके जिम्मे देना बहुत जरूरी है, यह बहुत-ही इम्पौर्टेन्ट काम है इसलिये अत्यन्त आवश्यकता है। इसलिये इसे होना चाहिये।

श्री कृष्णकांत सिंह—अध्यक्ष महोदय, हम समझते हैं कि जो इस बिल में लिखा हुआ है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल में देखा जाय—

2. (t) "University professor" means a teacher engaged in giving instruction in a department or institute maintained by the University for imparting instruction to the students of the University in the post-graduate standard and possessing such qualifications as may be prescribed by the Statutes."

अध्यक्ष महोदय, रिसर्च की मनाही यहां है कहां कि रिसर्च का काम नहीं करेगा। आखिर रिसर्च करना, रिसर्च के अनुभव के आधार पर इंसट्रक्शन इम्पार्ट करना है तो इसमें रिसर्च का काम करने की मनाहट कहां है? अब यह कहना कि रिसर्च प्रोफेसर नहीं करते हैं। तो रिसर्च करने और कराने की प्रवृत्ति होती है, रिसर्च कराने की बात लाद दी जाय तो यह काम नहीं हो सकता है। ऐसे रिसर्च करने वाला प्रोफेसर लिखता है, पढ़ता है, अनुसंधान करने की कोशिश करता है और अगर हम कहें कि ४-५ घंटे बैठकर काम करो तो नहीं करेगा।

श्री राम जनम ओझा—अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि रिसर्च का काम अपनी इच्छा से लोग करते हैं लेकिन युनिवर्सिटी प्रोफेसर का पोस्ट्स जिस टर्म में हमलोग लेते हैं तो वह प्राइज्ड पोस्ट्स हैं। इसलिये मुख्य काम उसका यह होना चाहिये जैसा कि वे भी मानते हैं। जो डिस्टिंग्वीश्ड स्कॉलर होते हैं उन्हीं को बहाल किया जाता है। लेकिन ऐसे लोगों से आशा की जाती है कि पोस्ट-ग्रैजुएट टीचिंग करेंगे और उसमें रिसर्च वर्क भी इनक्लूडेड समझा जाता है लेकिन ऐसा प्रैक्टिस में नहीं होता है। रिसर्च का काम प्रोफेसर के साथ जरूरी नहीं है। ये दोनों दो काम है।

श्री कृष्णकांत सिंह—इसमें मनाहट कहां है, बार कहां है?

श्री रामजनम ओझा—मैं नहीं कहता हूँ कि बार है। लेकिन युनिवर्सिटी के डेफिनेशन में नहीं है कि किस किस में बार है। युनिवर्सिटी प्रोफेसर का काम है पोस्ट-ग्रैजुएट को पढ़ाना लिखाना। लेकिन जो युनिवर्सिटी टीचर्स नहीं है वे भी ऐसा करते हैं इसलिये कि हर क्लास में १४० लड़के पढ़ते हैं और युनिवर्सिटी प्रोफेसर केवल ६-७ क्लास लेते हैं। इसलिये आपको जोर डालना चाहिये और इसमें आपको कुछ बिगड़ता भी नहीं है। प्रोफेसर आर्डिनरी टीचर नहीं होता, लेकिन युनिवर्सिटी प्रोफेसर नेसेसरिली डिशटिंगुइश्ड स्कॉलर ही होता है। इसलिये हम समझते हैं कि उनसे काम लिया जाय।

श्री कृष्णकांत सिंह—हुजूर, हमने बात साफ कर दी है और यह भी जाहिर है कि जब कोई कानून बनाया जाता है तो कोई बात ऐसी नहीं रख दी जाती है जो रिडन्डेन्ट हो जाय। इसलिये इसकी जरूरत यहां मालूम नहीं होती है।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है :

That in sub-clause (*t*) of Clause 2 of the Bill *after* the words, "post-graduate standard" occurring in line 5, the words "and guiding research work in the subject" *be inserted.*

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

संयुक्त प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित खंड २ इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—खंड ३ लिया जाये। श्री रमाकान्त झा ने जो पुराने अमेंडमेंट दिया है उसके बदले में वे नया अमेंडमेंट देना चाहते हैं। इसको वे मूव कर सकते हैं।

श्री रमाकांत झा—मैं प्रस्ताव करता हूँ :

That *for* sub-clause (*i*) of clause 3 of the Bill, the following *be substituted*, namely :—

श्री राम जनम ओझा—मेरा एक प्वायंट ऑफ ऑर्डर है हुजूर। उनका जो अमेंडमेंट है उसमें तिरहुत युनिवर्सिटी है लेकिन अभी जो हमलोगों ने पास किया है उसमें चार युनिवर्सिटी है, उन्होंने भी चार बना दिया है लेकिन नाम रख दिया है तिरहुत इसके मुताबिक जो अडौप्ट हो गया उससे कन्ट्राडिक्ट करता है।

श्री रमाकांत झा—मैं मानता हूँ कि युनिवर्सिटी ऑफ बिहार रहना चाहिये।

I beg to move:—

"That *for* sub-clause (*i*) of clause 3 of the Bill, the following be *substituted*, namely:—

(1) There shall be established, with effect from the date of commencement of this Act, the following four Universities, namely:—

(a) the Patna University with headquarters at Patna and territorial jurisdiction over an area within a radius of ten miles from the office of the present Patna University.

(b) the University of Bihar with headquarters at Darbhanga and territorial jurisdiction over the whole of the Tirhut Division, the whole of the Purnea and Saharsa districts, the whole of the Begusarai and Khagaria Subdivisions of Monghyr district and the whole of the portion of Bhagalpur district falling to the north of the river Ganga ;

(c) the Bhagalpur University with headquarters at Bhagalpur and territorial jurisdiction over the whole of the Bhagalpur Division minus the Saharsa and Purnea district, the Begusarai and Khagaria subdivisions of Monghyr district and the portion of the Bhagalpur district falling to the north of the river Ganga and the whole of the Patna Division minus the area within the radius of ten miles from the office of the present Patna University, and

(d) the Ranchi University with headquarters at Ranchi and territorial jurisdiction over the whole of the Chhotanagpur Division."

मैंने जो अभी संशोधन पेश किया इसमें आपके द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। पहली बात मैं चाहता हूं कि पटना युनिवर्सिटी रेसिडेंशियल-कम-टीचिंग युनिवर्सिटी हो और दूसरी बात है कि उत्तर बिहार में यानी दरभंगा में बिहार युनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर हो और उसके क्षेत्र को बढ़ा दिया जाय, और इस युनिवर्सिटी का नाम युनिवर्सिटी ऑफ बिहार हो जाय चूंकि इसकी स्वीकृति पहले हो चुकी है। अगर स्वीकृति नहीं हो गई होती तो मैं इसका नाम तिरहुत युनिवर्सिटी रखता। गंगा के उत्तर जितने इलाके हैं सभी इलाके बिहार युनिवर्सिटी में रहें। मेरा विचार है कि भागलपुर युनिवर्सिटी द्वारा जो क्षेत्रफल ले लिया जाय वह उससे हट जायगा और पटना डिवीजन से जो पटना युनिवर्सिटी में ले लिया जायगा वह भी हट जायगा। तीसरी युनिवर्सिटी रांची में होगी जिसका हेडक्वार्टर रांची में होगा। मैं संशोधन इसलिये रख रहा हूँ कि युनिवर्सिटी ऑफ बिहार का क्षेत्रफल गंगा के उत्तर में जितने इलाके हैं सब होंगे और दरभंगा उसके बीच में पड़ता है इसलिये इस इलाके को ले लिया जाय जहां से बंगाल बिहार की सीमा शुरू होती है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश की सीमा तक ले लें तो केन्द्र में दरभंगा पड़ेगा। यह भी दरभंगा के लिये बड़े सौभाग्य की बात है कि वहां की संस्कृति, वहां का कल्चर प्रसिद्ध है। दरभंगा में संस्कृति ट्रेडीशनल है उसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिये कि मुजफ्फरपुर बहुत पीछे है, मुजफ्फरपुर में वैशाली जैसा स्थान है जहां २,५०० साल पहले गणतंत्र की स्थापना हुई और यह भी मैं मानता हूँ कि वहां यदि २,५०० वर्ष पहले गणतंत्र की परम्परा शुरू नहीं होती तो आज बिहार में गणतंत्र सफल नहीं होता। फिर भी इतनी बात जरूर है कि जिस तरह मुजफ्फरपुर में राजनीति की परम्परा है, मुजफ्फरपुर राजनीति में सब से आगे बढ़ा हुआ है, वहां से लोग राजनीति सीखा करते हैं, मुजफ्फरपुर ने रामदयालू बाबू ऐसे मनुष्य को दिया, आपके जैसे आदमी को दिया, महेश बाबू जैसे मनुष्य को दिया, इससे मैं मुंह नहीं मोड़ सकता हूं, दीप बाबू और पटेल साहेब जैसे मनुष्य को जिसने दिया है, जहां से हमारे मधुपुर क्षेत्र के सदस्य श्री राधानन्दन झा, राजनीति सीखा करते हैं. उसी तरह दरभंगा में संस्कृति का ट्रेडीशन रहा है। जब राजनीति की बात आई तो मुजफ्फरपुर का नाम आता है और जहां संस्कृति की बात आती है वहां दरभंगा का नाम लिया जाता है। डॉ० अमरनाथ झा, महामहोपाध्याय डा० गंगानाथ झा जैसे व्यक्ति दरभंगा में हुए हैं। आज भी विद्या का केन्द्र दरभंगा ही है और राजनीति का केन्द्र मुजफ्फरपुर है इसलिये मैं चाहता हूँ कि दरभंगा में ही बिहार युनिवर्सिटी का प्रधान दफ्तर हो और इसमें सरकार हस्तक्षेप न करे।

(अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि दरभंगा विद्या का केन्द्र रहा है इसलिये वहां विश्वविद्यालय रहने दिया जाय। पुराने जमाने में भी मगध की राजधानी पटना थी लेकिन विश्वविद्यालय नालंदा में था। इसी प्रकार पश्चिम की सीमा पर राजधानी दिल्ली रही लेकिन विश्वविद्यालय तक्षशिला में था। इंग्लैंड में राजधानी लंदन में है तो विश्व-विद्यालय ऑक्सफोर्ड में है इस प्रकार दूसरे-दूसरे देशों में भी और अपने देश में भी हम देखते हैं कि यह एक परम्परा रही है कि राजनीति के केन्द्र को विद्या के केन्द्र से अलग रखा गया है। यही बात मुजफ्फरपुर और दरभंगा में लागू होती है। मुजफ्फर-पुर बड़ा भाई है इसलिये वहां राजनीति का केन्द्र रहने दिया जाय और दरभंगा जो छोटा भाई है उसे विद्या को लेकर चलने दिया जाय। दरभंगा के लोग १९४० से ही विश्वविद्यालय की मांग कर रहे थे लेकिन मुजफ्फरपुर की मांग १९५८ से हुई है।

श्री राम जनम ओझा—मेरा एक प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। क्या कोई माननीय सदस्य यह कह सकते हैं कि दरभंगे की मांग १९४० से थी और मुजफ्फरपुर की १९५८ से थी इसलिये दरभंगा में ही विश्वविद्यालय होना चाहिये।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य इस तरह की बात नहीं करें।

श्री रमाकान्त झा—मेरा कहना है कि दरभंगा में विश्वविद्यालय रहने दिया जाय और मुजफ्फरपुर में राजनीति।

श्री राम चरित्र सिंह—एजुकेशन मिनिस्टर को आरबीट्रेट करने को दे दिया जाय।

श्री रमाकांत झा—संस्कृत युनिवर्सिटी बिल सदन में पेश था तब मैंने कहा था कि दरभंगा के लोगों को खिलौना देकर भुलाया जा रहा है। दरभंगा के महाराजा ने १ करोड़ रुपया जो संस्कृत विश्वविद्यालय को दिया है यदि उन्होंने उस रुपये को इस विश्वविद्यालय के लिये दिया होता तो दरभंगा वालों को मनके अनुकूल विश्वविद्यालय मिल जाता। विश्वविद्यालय के खोलने का आधार प्रशासनीक न होकर सांस्कृतिक होना चाहिये और मैंने अपने नोट ऑफ डिसेन्ट में यही कहा है। गंगा पार के लोगों की एक सांस्कृतिक इकाई है और उत्तर में हिमालय की सीमा से लेकर दक्षिण में गंगा तक और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में उत्तर प्रदेश तक जो क्षेत्र है उसकी एक अलग संस्कृति है। यहां लगभग सवा दो करोड़ लोग रहते हैं। लेकिन इस क्षेत्र को सरकार काटकर कुछ को भागलपुर में ले जाना चाहती है और कुछ दूसरी जगह, यह ठीक नहीं है। सरकार से मेरा कहना है कि इस इकाई को रहने दें और लोगों के भावनाओं के साथ वह खिलवाड़ न करें। वे एक साथ रहते आये हैं, एक साथ खेलते आये हैं और सरकार उनकी सभ्यता को आज छीनने की कोशिश कर रही है इसे वहां के लोग पसंद नहीं कर सकते हैं। प्रशासन की सुविधा अलग चीज है और विद्या की सुविधा अलग चीज है। इसलिये मेरा कहना है कि विश्वविद्यालय को दरभंगा में रहने दिया जाय और राजनीति को मुजफ्फरपुर में।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें।

*श्री कपिलदेव सिंह—अध्यक्ष महोदय, श्री रमाकांत झा ने जो संशोधन दिया है, कम-से-कम संशोधन देने का हक तो सब लोगों को है लेकिन इस तरह का संशोधन देना हमारी मर्यादा को कुछ नीचे गिरा देता है। हम जब सदन में चुन कर आते हैं तो केवल अपने क्षेत्र का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं बल्कि सारे सूबे का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे सामने सारे सूबे का सवाल रहता है लेकिन एक ऐसी प्रवृत्ति बढ़ रही है कि कोई कहे कि विश्वविद्यालय देवघर में रहे तो कोई कहे कि दरभंगा रहे, यह ठीक नहीं है। श्री रमाकांत झा ने कहा है कि विश्वविद्यालय हेडक्वार्टर दरभंगा रहे और राजनीति का क्षेत्र मुजफ्फरपुर में रहे यह अच्छी बात नहीं है। मुजफ्फरपुर सदा से राजनीति का केन्द्र रहा है और यदि कोई राजनीति सीखना चाहता है तो मुजफ्फरपुर से सीख सकता है, हमलोग राजनीति को छोड़नेवाले भी नहीं हैं। इसलिये अभी तो हालत यही है लेकिन यह समझते हैं कि विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर कहीं रहे, इसका कोई औचित्य प्रमाणित नहीं रहता। इन्होंने बताया कि मुंगेर जिले से बेगुसराय का कुछ हिस्सा दरभंगा में मिला दिया जाय। सवाल यही है कि सरकार ने जिस मंशा से इस बिल को प्रस्तुत किया है वह है रिजनल बेसिस पर, जैसा कि युनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने सिफारिश की है काम करना और कमीशन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक करोड़ की जनसंख्या पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो और इसको दृष्टि में रखते हुए, बिहार की जनसंख्या चार करोड़ है और इसलिये चार युनिवर्सिटियां खुल रही हैं, कमिश्नरी के आधार पर जब हम युनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं तो कमिश्नरी का जो हेडक्वार्टर है वहीं विश्वविद्यालय का भी हेडक्वार्टर हो। हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर रहे या दरभंगा रहे यह प्रश्न है। जैसा कि हमारे एक माननीय मित्र ने कहा दरभंगा के लिये शिक्षामंत्री हैं और मुजफ्फरपुर के लिये कौन पंच हैं इसको आप समझ सकते हैं और वे दोनों आपस में पंचायती कर लेंगे। अब रही बात मुंगेर जिले का कुछ पोर्शन को दरभंगा जिला में रखने का लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब सरकार भागलपुर कमिश्नरी में एक विश्वविद्यालय, आर्टस ही सही,, खोलने जा रही है तो फिर इन हिस्सों को दूसरे कमिश्नरी में रखने की कोई बात जंचती नहीं है। अध्यक्ष महोदय, दरअसल हम भागलपुर कमिश्नरी के लोग सफरर हैं क्योंकि वहां न मेडिकल कॉलेज है इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, आपने सिर्फ प्यारे आर्टस् को वहां रहने दिया है और रहने देंगे। जब भागलपुर विश्वविद्यालय की स्थापना होगी तो हमारे लड़के जो वहां से निकल कर मेडिकल या इन्जीनियरिंग पढ़ने के लिये तैयार होंगे तो उन्हें पटना या मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय में जाना पड़ेगा और उस वक्त यह प्रश्न उठेगा कि हम अपने विश्वविद्यालय के लड़कों को पहले जगह देंगे तब दूसरे विश्वविद्यालय के लड़कों को जगह देंगे। इसके बाद भी वे इधर का थोड़ा हिस्सा ले जाना चाहते हैं, इसलिये मैं इनके विचार का विरोध करता हूँ और चाहता हूँ कि सरकार के जो इस संबंध में सुझाव है कि कमिश्नरी के आधार पर विश्वविद्यालय का निर्माण हो वही रहे और जब सरकार इसपर विचार करेगी तो उसके बाद सरकार को यह भी सोचना चाहिये कि भागलपुर में विश्वविद्यालय तो बन रहा है लेकिन वहां मेडिकल कॉलेज, इन्जीनियरिंग कॉलेज, वेटेरीनरी कॉलेज में पढ़ने लोग वहां से किस तरह आयेंगे, उन्हें तो दूसरे विश्वविद्यालय की शरण में जाना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ श्री रमाकांत झा का जो सुझाव है उसका मैं विरोध करता हूँ और उसे सदन को नहीं मानना चाहिये।

*श्री हरिवंश नारायण सिंह—श्री रमाकांत झा जी का जो प्रस्ताव है उसका मैं घोर विरोध करता हूँ। जिस वक्त वे बोल रहे थे तो मेरे दिल में यह बात आई कि पां ें

विश्वविद्यालयों का हेडक्वार्टर दरभंगा हो। वे बार-बार कह रहे थे कि विद्या का केन्द्र दरभंगा प्राचीन काल से रहा है और आज भी है उनको ऐसा मालूम होता है कि दरभंगा में ही विद्या का केन्द्र है। उन्होंने और भी बातें कही हैं, कल्चर की बात, सभ्यता की बात और ऐसा मालूम होता है कि ये सारी चीजें दरभंगा में ही होती हैं। हुजूर, कल्चर और सभ्यता के नाम पर पाकिस्तान और हिन्दुस्तान बना, मुस्लिम लीग ने कहा अलग कल्चर है, और फिर पाकिस्तान कल्चर के नाम पर बना। अब ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्य श्री रमाकांत झा कहेंगे कि कल्चर के नाम पर चार पांच हिस्सा बिहार का हो जाना चाहिये। इनको मुजफ्फरपुर और दरभंगा के कल्चर में डिफरेंस मालूम पड़ता है, पटना और दरभंगा के कल्चर में डिफरेंस मालूम होता है? बात समझ में नहीं आती है। इन्होंने अभी कहा कि संस्कृत युनिवर्सिटी एक लड़कों के खिलौना के रूप में दरभंगा में खोला गया है। अध्यक्ष महोदय, आपको इसकी जानकारी होगी कि संस्कृति की शिक्षा का केन्द्र दो ही जगह इस राज्य में रहा है, एक पटने में और दूसरा दरभंगा में। इसके बाद सारे प्रांत के लिये संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना दरभंगा में हुई है, यह रिजनल बेसिस पर नहीं होता बल्कि समूचे बिहार में इसका अधिकार रहेगा। अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के बहुत बड़े-बड़े लोगों ने कहा है कि संस्कृत हिन्दुस्तान के कल्चर की जननी है, अगर संस्कृत को हमलोग हटा देंगे तो हमारे कल्चर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा और संस्कृत का केन्द्र दरभंगा में स्थापित किया गया है, और इसपर भी वे कहते हैं कि लड़कों का खिलौना है? इस सूबे में अंग्रेजी जिस पद्धति के अनुसार हमारी शिक्षा का अंग रहा है वह सन् १९१७ में जिस वक्त पटना कॉलेज, भागलपुर में टी० एन० जी० कॉलेज, मुजफ्फरपुर कॉलेज की स्थापना से शुरू हुई है। उसी पद्धति के अनुसार हम आज चार रिजनल युनिवर्सिटी खोल रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि युनिवर्सिटी के केन्द्र में कायम करने में, उसके हेडक्वार्टर के कायम करने में सभ्यता और कल्चर और लड़कों के खिलौने की बात प्रांत के एक रिप्रेजेन्टेटिव को इस सदन में कहना चाहिये? इन शब्दों के साथ मैं उनके प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूँ।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा—अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी श्री रमाकान्त झा ने जो

प्रस्ताव दरभंगा युनिवर्सिटी के बारे में पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। मेरा कहना यह है कि पटना में जहां पटना यूनिवर्सिटी बिल मौजूद है, वह ठीक है। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी के लिये कम्पैक्ट एरिया की जरूरत पड़ती है जो एक अहाते में हो। पटना यूनिवर्सिटी के लिए रेजिडेंशियल-कम-एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी की मांग की गयी है। मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। नालंदा में यूनिवर्सिटी खोलने की बात है वह अच्छी है। क्योंकि वह कम्पैक्ट एरिया में पड़ता है और जो विद्या का केन्द्र रहा है। मैं सरकार से सिफारिश करता हूं कि नालंदा में युनिवर्सिटी बने। मैं यह भी जरूरी समझता हूं कि पटना डिवीजन के लिए पटना में यूनिवर्सिटी रहनी चाहिये जैसा कि बिल में निहित है। यदि आपको रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी बनानी है तो नालंदा में बनाइये। इसलिए मैं चाहूंगा कि वे अपने प्रस्ताव में संशोधन कर लें।

श्री बदरी सिंह—अध्यक्ष महोदय, साथी रमाकान्त झा जी ने जो संशोधन पेश किया

है वह अविवेकपूर्ण है, अप्रमाणकारी और अव्यावहारिक है। अगर उनके संशोधन को मान लिया जाय तो प्रदेश के लोगों के प्रति अन्याय होगा। सरकार ने जो बिल पेश

किया है उसको हम व्यावहारिक मान सकते हैं क्योंकि उसने सभी डिवीजनल केन्द्रों में युनिवर्सिटी कायम करने की कोशिश की है। उसका विचार है कि यदि युनिवर्सिटी डिवीजन के केन्द्रों में रहेगी तो वहां के विद्यार्थियों को सुविधा होगी और आर्थिक सुविधा भी रहेगी। साथ-ही-साथ यह भी सुविधा होगी कि अपने यहां की जो विशेषता है उसका वे विकास कर सकेंगे। हमारे रमाकान्त झा जी ने जो संशोधन पेश किया है कि मुजफ्फरपुर में बिहार युनिवर्सिटी का केन्द्र जो होने को है वह दरभंगा में हो और पटना युनिवर्सिटी जो अभी पटना में है वह रहे और उसका घेरा दस मील का हो लेकिन पटना डिवीजन के जितने कॉलेज हैं वे भागलपुर से एफिलियेट हों और उसका प्रधान कार्यालय, भागलपुर में हो। श्री रमाकान्त झा ने अपने संशोधन को पेश करते हुए तर्क उपस्थित किया है कि दरभंगा सांस्कृतिक विषयों का क्षेत्र रहा है। सही माने में मुजफ्फरपुर ही तिर्हुत कमिश्नरी के बीच में पड़ता है और वहीं युनिवर्सिटी रहनी चाहिए। श्री रमाकान्त झा जी ने अपने मन की बात कह दी कि चाहे दरभंगा तिर्हुत कमिश्नरी के एक छोर में पड़ता हो, लेकिन वहीं युनिवर्सिटी होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि दरभंगा में यदि युनिसर्सिटी बने तो भागलपुर कमिश्नरी के कुछ हिस्से इसमें शामिल कर लिये जायं और पटना कमिश्नरी के कुछ हिस्से भागलपुर में जोड़ दिया जाय। शायद उनकी आत्मा इस बात की गवाही नहीं देगी कि दरभंगा कमिश्नरी के बीच में कैसे पड़ता है। खगड़िया को भी उसमें जोड़ने को कहते हैं। यह सही बात है कि युनिवर्सिटी बीच में होना चाहिये।

दूसरी बात यह कही है कि दरभंगा में संस्कृत का विकास हुआ है। इसको मैं मानता हूं और यह भी मानता हूं कि वहां संगीत और साहित्य का विकास हुआ है। लेकिन एकांगी विकास को लेकर ही वह यूनिवर्सिटी का केन्द्र हो जाय यह उचित नहीं है। आप जानते हैं कि शाहाबाद बहादुरी का केन्द्र रहा है। आजादी की लड़ाई में शाहाबाद के लोग सबसे ज्यादे काम आये। इसलिए मैं कहूं कि शाहाबाद में ही युनिवर्सिटी हो तो यह अविवेकपूर्ण और अव्यावहारिक होगा।

मैं मानता हूं कि संस्कृत युनिवर्सिटी दरभंगा में हो। अबतक मैं यह मानता था कि वह प्रिंसपल हैं और उनका सुझाव, उनकी शिक्षा और दीक्षा इस तरह की होगी जिससे वह बहुत व्यावहारिक बात कहेंगे, लेकिन अध्यक्ष महोदय, अब अपना विचार मुझको बदलना पड़ रहा है। मैं यह कह रहा था कि जिस तरह से दरभंगा जिले के छात्रों को सुविधाएं होंगी वहां युनिवर्सिटी होने से उसी दृष्टिकोण से क्या उन्होंने यह भी सोचा है कि शाहाबाद जिला के भभुआ सबडिवीजन के विद्यार्थियों को उस जगह जाने में कितनी आर्थिक दिक्कत होगी? दरभंगा संस्कृत का केन्द्र रहा है इसलिये संस्कृत युनिवर्सिटी वहां हो यह ठीक है और अगर आप युनिवर्सिटी चाहते हैं दरभंगा के अन्दर तो उसकी मांग आप कीजिये वह भी ठीक है लेकिन चूंकि आप दरभंगा में युनिवर्सिटी चाहते हैं इसलिये पटना, गया और शाहाबाद के छात्रों को असुविधायें दी जायं मेरी समझ में इंसाफ नहीं है।

अध्यक्ष—आपके भाषण सुनने के बाद तो वह अपना संशोधन उठा लेंगे।

श्री बदरी सिंह—अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि सूबे का संतुलित विकास हो।

सूबे का हर क्षेत्र शिक्षा का केन्द्र हो। लेकिन इसके बाद आप चाहें कि इस यूनिवर्सिटी बिल के द्वारा सूबे के एक कोने में, एक छोर पर युनिवर्सिटी की स्थापना हो और सूबे के दूसरे छोर के लड़के वहां जायं यह अन्याय है।

श्री राम जनम ओझा—अध्यक्ष महोदय, अभी जो संशोधन पर विचार हो रहा है और

जिस आधार पर श्री रमाकांत झा जी ने इस बात की मांग की है कि युनिवर्सिटी की स्थापना कल्चर और संस्कृति के आधार पर हो उसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि अपने ध्येय को स्पष्ट करने के लिये उन्होंने बड़े-बड़े पुराने विद्वानों का नाम बतलाया और कहा कि दरभंगा को संस्कृति और शिक्षा ऐसी है जिससे वहां युनिवर्सिटी की स्थापना होनी चाहिये। संस्कृत युनिवर्सिटी हुई वहां यह बहुत अच्छी बात है। उसमें मैं समझता हूं कि किसी को एतराज नहीं हो सकता है। जिन विद्वानों का नाम उन्होंने लिया उनके प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है लेकिन जिस ट्रेडिशन और जिस पक्ष में उन्होंने नाम लिया और कहा कि उस ट्रेडिशन और उस पक्ष के हित युनिवर्सिटी दरभंगा में स्थापित की जानी चाहिए उसीसे उन्होंने उन्हें कंडम भी कर दिया और सबसे बड़े दानवीर दरभंगा के महाराज को एक अज्ञानी पुरूष के ऐसा बता दिया क्योंकि इस पक्ष में उन्हें भी उन्होंने शामिल किया और ऐसा करना उनके प्रति न्याय करना नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, जहांतक कल्चर की बात है, मैं यह नहीं मानता कि दरभंगे का कल्चर मुजफ्फरपुर और पटने के कल्चर से अलग है। मैं हरिवंश बाबू के साथ हूं कि हिन्दुस्तान का कल्चर सोलहो आना एक ही है चाहे वह दरभंगा में हो, मुजफ्फरपुर में हो या छपरे में हो।

श्री कृष्णकांत सिंह—क्या आप ऐसा समझते हैं कि वह हिन्दुस्तानी नहीं है ?

श्री रामानन्द तिवारी—आपही समझ गये कि वह हिन्दुस्तानी नहीं हैं।

श्री राम जनम ओझा—अध्यक्ष महोदय, इन बड़े-बड़े महानुभावों का नाम ऐसे पक्ष

में लेकर उन्होंने उनके प्रति निरादर का भाव व्यक्त किया। मैं जब यह कहता हूं तो इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि मैं दरभंगा के प्रति निरादर या द्वेष का भाव नहीं रखता हूं। मुझे दरभंगा के लिये उतनी ही श्रद्धा है जितनी श्रद्धा हिन्दुस्तान के लिये है। दरभंगा हिन्दुस्तान का उतना ही अच्छा पार्ट है जितना मुजफ्फरपुर या और-ओर जगहें हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि दरभंगा की संस्कृति नहीं है कि पहले हमकों सर्भ कर लो और सारो दुनियां जहन्नुम में जाये। दरभंगा, मुजफ्फरपुर या सारे देश को संस्कृति तो यह है कि विद्वान अपने को छोटा बतलाता है दूसरे को नहीं। बिहार युनिर्वसिटी को आप रांची में रखें, मुजफ्फरपुर में रखें या जहां भी रखें लेकिन युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने जो सिफारिश की है वह बहुत स्वाभाविक है क्योंकि इस बिल के जरिये जो युनिवर्सिटी आप बनाने जा रहे हैं उसका पोस्ट-ग्रैजुएट टीचिंग एक पार्ट है और मुजफ्फरपुर कॉलेज जो उस युनिवर्सिटी का एक कंस्टिच्युएंट कॉलेज होगा उसके अन्दर पोस्ट-ग्रैजुएट टीचिंग होती है लेकिन दरभंगा में आजतक पोस्ट-ग्रैजुएट टीचिंग नहीं हुयी। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि दरभगा में किसी जमाने में युनिवर्सिटी हो ही नहीं सकती। मैं यह नहीं मानता हूं। मैं तो यह मानता हूं कि हर जगह के लिये युनिवर्सिटी हो, छपरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर या और जगह। अगर देखा जाय तो मुजफ्फरपुर कॉलेज के बाद छपरा कॉलेज का नम्बर आता है और तब दरभंगा कॉलेज की स्थापना हुयी है। इसलिये पहले मुजफ्फरपुर कॉलेज को युनिवर्सिटी के लिये लिया जा सकता है। उसके बाद राजेन्द्र कॉलेज, छपरा का नम्बर आवेगा लेकिन दरभंगा तो उसके बाद

ही आवेगा। युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने भी ऐसी सिफारिश की है कि मुजफ्फरपुर को ही युनिवर्सिटी की स्थापना के लिये केन्द्र माना जाय। अगर मान लिया जाय कि दरभंगा में युनिवर्सिटी हो जाय तो उसका नतीजा यह होगा कि यह बिल जो आप बना रहे हैं उसके अनुसार जिस कॉलेज में युनिवर्सिटी जायगी सबसे पहले वहां पोस्ट-ग्रैजुएट टीचिंग का होना जरूरी है। इसलिये दरभंगा में पोस्ट-ग्रैजुएट टीचिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। और उसकी सारी व्यवस्था करनी होगी और साथ-साथ इम्प्लीकेशन यह है कि मुजफ्फरपुर की पोस्ट-ग्रैजुएट टीचिंग की सारी व्यवस्था को बन्द कर देना होगा।

इस तरह की भावना के कारण, जैसा कि मिथिला की मनोवृत्ति अभी प्रकट की गयी है, नैपाल से लड़ाई हो जायगी। हो सकता है आगे चलकर इनकी नजर जनकपुर तक चली जाय, तो यह इन्टरनेशनल सवाल हो जायगा। इसलिए स्वतः उनको इस तरह की भावना को रोकना चाहिये। यह हमारे देश के लिए घातक होगा।

मैं श्री रमाकान्त झा जी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लें।

*श्री रामानन्द सिंह—अध्यक्ष महोदय, अभी जो प्रश्न हमारे सामने श्री रमाकान्त झा

जी ने रखा है कि दरभंगा में हेड क्वाटर्स हो उससे मैं यही समझता हूं कि उन्होंने विद्वानों के स्थान को नीचे गिराया है। मैं तो दरभंगा के विद्वानों को बिहार का विद्वान मानता हूं ; लेकिन जैसा कि उन्होंने कह दिया है उससे विद्वानों के प्रति जो कुछ उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि उससे उनका निरादर हुआ है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने मुजफ्फरपुर जिला को राजनीति का हक दे दिया, तो मैं समझता हूं कि श्री राधानन्दन झा जी, जो जेनरली जोर से दौड़ लगाते हैं, मुजफ्फरपुर जिला का उन्हें भी मुजफ्फरपुर की राजनीति का हिस्सा मिलना चाहिये। इसमें एक बात और यह भी है कि इस प्रश्न को उठाने के बाद, कम-से-कम जब वे दरभंगा जायेंगे तो वे यह कह सकते हैं कि उन्होंने दरभंगा के लिए सवाल रखा है। यह भी राजनीति है।

श्री राम जनम ओझा—इस सवाल से आपको भी तो दिलचस्पी है?

श्री रामानन्द सिंह—मेरा घर मुजफ्फरपुर है और ससुराल दरभंगा है। (हंसी)

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात की तकलीफ है कि यहां रीजनल सवाल नहीं उठाना चाहिये। सरकार ने भी बहुत अंश में बेईमानी की है।

अध्यक्ष—बेईमानी शब्द उठा लीजिये।

श्री रामानन्द सिंह—मैं इसे विथड्रॉ करता हूं। मैं कहता हूं कि सरकार ने पक्षपात

किया है।

हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब तो मुजफ्फरपुर के नहीं हैं, लेकिन हमारे मिनिस्टर तो पूर्णियां के रहनेवाले हैं। दरभंगा की संस्कृति को पूर्णियां में फैलाकर उसके साथ पक्षपात किया जायेगा। यह दूसरी बात है कि एक जगह की संस्कृति को दूसरी जगह में फैलाने की कोशिश होती है और इसी को लेकर आज अमेरिकावाले अपनी संस्कृति को

फैलाने के लिये हिन्दुस्तान में भी आते हैं लेकिन कल्चर के सवाल का जहां तक सवाल है एक जगह के कल्चर को दूसरी जगह में फैलाने के लिये एक युनिवर्सिटी खोलना, ठीक नहीं है। इसलिये श्री रमाकान्त झा का जो संशोधन है उसका मैं विरोध करता हूं।

*श्री प्रभु नारायण राय—अध्यक्ष महोदय, श्री रमाकान्त झा का जो संशोधन है और उसको उपस्थित करते हुए उन्होंने जो तर्क उपस्थित की है उससे मैं सहमत नहीं हूं। विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिये जो क्राइटेरिया उन्होंने रखा है वह मेरे जानते ठीक नहीं है। हिन्दुस्तान में एक ही संस्कृति तो सबलोगों के लिये है लेकिन फिर भी इसके अलावे क्षेत्रीय संस्कृति भी है और एकक्षेत्र की संस्कृति में दूसरी जगह की संस्कृति में कुछ-न-कुछ भिन्नता जरूर रहती है। यह मैं मानता हूं कि मिथिला की बहुत पुरानी संस्कृति है फिर भी वह एक क्षेत्रीय संस्कृति के ही नाम से पुकारी जा सकती है। अगर क्षेत्रीय संस्कृति को ही युनिवर्सिटी कायम करने के लिये आधार मान लें तो हरेक जगह में आपको एक युनिवर्सिटी कायम करने की जरूरत हो जायेगी जो अभी संभव नहीं है। क्षेत्रीय संस्कृति तो उसी तरह की चीज है जैसे जब कोई नदी एक जगह से चलती है तब वह जिस तरह की मिट्टी से होकर बहती है उसी के रंग को अपना लेती है, लेकिन जब वह समुद्र में गिरती है सब रंग मिलकर एक हो जाते हैं और फिर समुद्र के ही रंग में मिल जाते हैं। इसलिये भारतीय संस्कृति तो सभी क्षेत्रीय संस्कृति का केन्द्र है अब अगर क्षेत्रीय संस्कृति के विकास के लिये यूनिवर्सिटी कायम की जाय तब तो बहुत-सी युनिवर्सिटीज की जरूरत है लेकिन अर्थाभाव के कारण ऐसा नहीं हो सकता है।

दूसरी बात यह कही गयी है कि संस्कृति को राजनीति से अलग रखा जाय। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज के युग में, विज्ञान, इंजीनियरिंग उद्योग धंधे आदि सभी का विकास हो रहा है और इस विकास के युग में सभी पर नयी चीजों की कुछ-न-कुछ छाप पड़ ही जाती है। ऐसी हालत में किसी भी पुरानी संस्कृति को ही फैलाने के लिये कहीं पड़ युनिवर्सिटी कायम करना ठीक नहीं है। इसलिये संस्कृति को राजनीति से अलग करना भी इस युग में संभव नहीं है। गंगा के पार जो सभी क्षेत्र हैं उनको कल्चर के आधार पर एक युनिवर्सिटी में लाना कहां तक ठीक हो सकता है क्योंकि उस युनिवर्सिटी में पूर्णिया, उत्तर भागलपुर और उत्तर मुंगेर का हिस्सा आता है। इन सभी क्षेत्रों को मैथिली संस्कृति में शुमार करना भी कहां तक ठीक हो सकता है। यह श्री रमाकांत झा ही समझ सकते हैं। क्षेत्रीय संस्कृति में क्षेत्रीय भाषा होती है लेकिन इस विकास के युग में यातायात के विकास से और लड़कों के पढ़ने-लिखने से एक क्षेत्र का प्रभाव दूसरे क्षेत्र पर भी पड़ ही जाता है। इसलिये इस बिना पर भी उनका तर्क ठीक नहीं उतरता है और मैथिली संस्कृति में पूर्णिया, उत्तर भागलपुर और मुंगेर के हिस्से को एक में मिलना ठीक नहीं मालूम पड़ता है। ऐसी हालत में भागलपुर युनिवर्सिटी का जो केन्द्र है वह भागलपुर में रहना ठीक है और किसी भी तर्क के आधार पर उसको वहां से हटाना ठीक नहीं मालूम होता है। इन्हीं सब बातों से मैं श्री रमाकान्त झा के संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री श्याम सुन्दर प्रसाद—अध्यक्ष महोदय, अभी श्री रमाकांत झा का जो संशोधन यहां पर उपस्थित है उसका कुछ विरोध हो रहा है। श्री रमाकांत झा का संशोधन इस बात को ध्यान में रखकर लाया गया है कि पटना युनिवर्सिटी का जो मौजूदा करेक्टर

है उसको बरकरार रखा जाय। आपकी रूलिंग हो चुकी है कि चार ही युनिवर्सिटी की बात यहां पर हो सकती है और अब चार युनिवर्सिटी को ही ध्यान में रखकर यह संशोधन रखा गया है जिसमें पटना युनिवर्सिटी का प्रेजेन्ट कैरेक्टर भी रह जाय और सारे सूबे के हरेक क्षेत्र का काम भी चल जाय। आज भी पटना युनिवर्सिटी के सिनेट की मीटिंग हुई है और यह प्रस्ताव पास हुआ है कि उसके प्रेजेन्ट कैरेक्टर को बरकरार रखा जाय। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि अगर कोई लड़का बीमार पड़े तो उसकी दवा-दारू न करके यह सोचा जाय कि उस लड़के को मार कर उसकी जगह पर एक दूसरा लड़का पैदा किया जाय। पटना युनिवर्सिटी के बारे में आज सरकार यही बात कर रही है। अगर सरकार यह समझती है कि उस युनिवर्सिटी में कुछ गड़बड़ी है तो उसको दूर करने के लिये यह दवा नहीं करना चाहती है बल्कि उसको मारकर दूसरी युनिवर्सिटी कायम करना चाहती है।

श्री मिथिलेश्वर प्रसाद सिंह—सरकार की ऐसी मंशा नहीं है।

श्री श्याम सुन्दर प्रसाद—तब सरकार दवा देने के बजाय उसको क्यों मार रही है।

मेरी समझ से तो रमाकांत झा के संशोधन के मूल में यह बात है कि पटना युनिवर्सिटी के प्रेजेन्ट कैरेक्टर को बरकरार रखा जाय और इसलिये उनके प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। सरकार को दवा देने का हक है और वह ऐसा चाहे तो कर सकती है लेकिन वह ऐसा न करके पटना युनिवर्सिटी को खतम ही कर देना चाहती है और उसकी जगह पर एक नयी पटना युनिवर्सिटी कायम करना चाहती है। अगर वह दवा देना चाहती तो उसकी जांच करने के लिये एक कमीशन बहाल करती और वह सभी बातों की जांच करके उस युनिवर्सिटी को सुधारने का सुझाव देता। लेकिन यह सरकार ऐसा न करके उसको खतम करने जा रही है।

अध्यक्ष—आप उनके संशोधन के एक हिस्से का समर्थन करते हैं लेकिन दूसरे हिस्से का विरोध करना चाहते हैं तब फिर आपको कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जायेगा।

श्री श्याम सुन्दर प्रसाद—श्री रमाकांत झा अपने संशोधन को लाकर पटना युनिवर्सिटी के कैरेक्टर को बरकरार रखते हुये यह चाहते हैं कि एक युनिवर्सिटी तो रांची में बन जाय लेकिन बकिये जो दो युनिवर्सिटीज बच जाती हैं उन्हीं में सारे बिहार को दो हिस्सों में बांट दिया जाय। इसलिये उत्तर बिहार में जो युनिवर्सिटी बने उसकी सीट मुजफ्फरपुर में ही रहनी चाहिये और दूसरी युनिवर्सिटी जो भागलपुर युनिवर्सिटी बननेवाली है उसकी सीट भागलपुर में न रखकर नालंदा में ही कर दी जाय।

उनका तर्क है संस्कृति का, लेकिन संस्कृति सिर्फ मुजफ्फरपुर या दरभंगे की ही नहीं है, संस्कृति तो यहां की भारतीय है। तो मेरा कहना है कि गंगा पार के लिए मुजफ्फरपुर युनिवर्सिटी रख दीजिए, गंगा के इस पार के लिए भागलपुर युनिवर्सिटी रखा जाय तथा पटना डिवीजन के लिए नालन्दा युनिवर्सिटी कर दिया जाय और पटना युनिवर्सिटी जैसा अभी है उसका कैरेक्टर वैसा ही रखा जाय।

अध्यक्ष—नालन्दा की बात तो अब खतम हो गयी।

श्री श्याम सुन्दर प्रसाद—उन्होंने दरभंगा की बात कही है, लेकिन मेरा कहना है कि उसका हेडक्वाटर्स मुजफ्फरपुर में ही रखा जाय और उसका जुरिसडिक्शन यह रहे कि वह सारे नौर्थ बिहार को कंट्रोल करे। पटना डिवीजन के लिये नालदा रखा जाय तथा पटना युनिवर्सिटी के करेक्टर को नहीं बदला जाय। इस प्रकार से चार युनिवर्सिटियां हो जाती हैं और सारा काम सिद्ध हो जाता है। मैं समझता हूं कि सरकार मेरी राय पर विचार करेगी।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—इनका तो गोल्डेन फौरमूला है।

श्री राम नारायण मंडल—अध्यक्ष महोदय, श्री रमाकांत झा जी ने इस बिल पर जो संशोधन पेश किया है उसका मैं विरोध करता हूं। इस तरह का संशोधन लाने के पहले यह बढ़िया होता कि पूर्णिया और सहरसा जिले के मेम्बरों की एक कमिटी बनाकर उनसे राय ले ली जाती। दरभंगा में सेन्टर हो, इस बात को कोई पसंद नहीं करेंगे। जहांतक ओपीनियन की बात है; मैं कहना चाहता हूं कि शायद ही पूर्णिया और सहरसा के कोई सदस्य इस संशोधन को सपोर्ट करें। इस बात की दुहाई दी गयी है कि ऐसा पब्लिक ओपीनियन है कि दरभंगा में सेन्टर हो, लेकिन अगर पूर्णिया, सहरसा अथवा मुंगेर के सदस्यों की राय ली जाय तो वे इसका विरोध ही करेंगे। इस प्रस्ताव को मानने के लिये कोई तैयार नहीं होंगे। मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि दरभंगा में सेन्टर होने से पूर्णिया और सहरसा के लोगों को सुविधा होगी।

सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, कई जिले जो इसमें पड़ते हैं ऐसी हालत में कमिश्नरी में अगर युनिवर्सिटी हो जाती है तो बड़ी सुविधा होगी बनिस्वत इसके कि दरभंगा में रखा जाय। दूसरी बात यह है कि सारा काम कमिश्नरी से होता है इसलिए हर कमिश्नरी में युनिवर्सिटी का बनाना उपयुक्त है। हम समझते हैं कि इससे पूर्णिया के लोगों को भी ज्यादा सुविधा होगी। कम्युनिकेशन के आधार पर भी यह जरूरी हो जाता है कि वहीं युनिवर्सिटी रहे।

कल्चर की बात कही गई है। दरभंगे की बात ठीक है कि वहां एक कल्चर है, संस्कृति है और इसीलिये संस्कृत युनिवर्सिटी वहां बनाई गई है। लेकिन दूसरी युनिवर्सिटी को भी वहीं ले जाना उचित नहीं है। संस्कृत युनिवर्सिटी वहां दी गई है, सारे हिन्दुस्तान की संस्कृति को बढ़ायें। नालन्दा में युनिवर्सिटी थी और खुदाई से बहुत सारी चीजें निकल रही है। पुरानी बातों का अगर ख्याल किया जाय तो वहां भी एक युनिवर्सिटी होनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया गया है कि युनिवर्सिटी के अन्दर जितने कॉलेजेज होने चाहिये उसमें भी भागलपुर में कमी है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कालेज जिसकी कमी इस युनिवर्सिटी में रहेगी और इनकी युनिवर्सिटी में जरूरत है इसलिए इन्हें स्थापित करें।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—आप चाहते हैं कि भागलपुर युनिवर्सिटी को रोक दिया जाय?

श्री रामनारायण मंडल—नहीं, मेरा कहना यह है कि वहां मेडिकल, इंजीनियरिंग या दूसरे टेक्निकल कॉलेजेज की जो कमी है इसकी पूर्त्ति होनी चाहिए। इन बातों का ख्याल करते हुए भागलपुर में जो युनिवर्सिटी हो रही है वह अत्यन्त उपयुक्त है और दरभंगा की बात का मैं विरोध करता हूं। आबादी के लिहाज से तथा क्षेत्रफल के ख्याल से भागलपुर युनिवर्सिटी के लिए उचित जगह है।

*श्री कर्पूरी ठाकुर—अध्यक्ष महोदय, जिस रूप में यह संशोधन है मैं इसका समर्थन करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं लेकिन संशोधन पर वाद-विवाद के सिलसिले में कई माननीय सदस्यों की ओर से यह कहा गया है कि मिथिला में युनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि जिन दलीलों के आधार पर मिथिला युनिवर्सिटी की मांग की जा रही है वे तर्क ऐसे नहीं हैं जिनको सरकार मान्य करे। मुझे याद है कि कल जब माननीय शिक्षा मंत्री वादविवाद का अंतिम उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो वर्त्तमान विधेयक लाया गया है यह युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की रिपोर्ट के आधार को देखते हुए और सेन्ट्रल ऐडवाइजरी कौन्सिल के डिसीजन को देखते हुए लाया गया है। अगर यह आधार इस विधेयक के पीछे है तो मैं सरकार से और माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या राधाकृष्णन् रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया है कि मिथिला में एक युनिवर्सिटी की जरूरत है। सारे देश की संस्कृति और कल्चरल हेरिटेज की छानबीन करने के बाद राधाकृष्णन् रिपोर्ट में यह लिखा है जिसका शीर्षक है "न्यु युनिवर्सिटी" और पेज ५५० पर है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पढ़कर सुना देना चाहता हूं जो इस प्रकार है :—

"Mithila has a linguistic heritage and two important centres of higher education, with probabilities of generous benefactions. If these materialize it should not be difficult to have a university for this area."

श्री हरिवंश नारायण सिंह—आप यह बतलाइए कि क्या मुजफ्फरपुर मिथिला से अलग है?

श्री कर्पूरी ठाकुर—मैं इसीलिए तो कहा है कि जिस रूप में संशोधन है उसका मैं समर्थन नहीं करता हूं। मैं यह कह रहा हूं कि जिसको आप मिथिला जानते हैं वह मिथिला मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर और भागलपुर के उत्तरी हिस्सा और मुंगेर में है। लेकिन तौभी आपको यह मानना पड़ेगा कि मिथिला का लिंग्युस्टिक हेरिटेज जैसा राधाकृष्णन् रिपोर्ट में जिक्र है उससे मतलब दरभंगा से ही है। इस चीज को आपको मानना पड़ेगा और इसलिए इसे मानना पड़ेगा कि वहां बड़े-बड़े विद्वान पैदा हुए हैं, इसके पीछे कोई संकीर्ण भावना या लोकल पौलिटिक्स नहीं है बल्कि इसका लिंग्युस्टिक आधार है। इसलिए संशोधन का समर्थन नहीं भी करते हुए मैं यह कहूंगा कि दरभंगा में नहीं होने का जो आधार बतलाया गया है वह गलत है। आप जानते हैं कि वर्षों से मिथिला युनिवर्सिटी की मांग होती रही है। जिन माननीय सदस्यों ने भाषा का जिस रूप में उपयोग किया है उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। भाषा का प्रयोग किस रूप में होना चाहिये माननीय सदस्य खब समझते हैं।

अध्यक्ष—इतनी बातें सुनने के बाद सरकार के जवाब की जरूरत नहीं मालूम होती। इसलिये माननीय सदस्य इसे उठा लेंगे, मैं ऐसा समझता हूं।

श्री रमाकान्त झा—सरकार का जवाब अथोरिटेटिव होगा इसलिये मैं जवाब सुनना चाहता हूं।

Shri RAMCHARITRA SINGH : Sir, there are so many amendments and if members try to speak on one amendment the result will be that many amendments will not be discussed.

श्री कृष्णकांत सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े ध्यान से, जो अमेंडमेंट मूव किया गया है श्री रमाकान्त झा के द्वारा सुना और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो हमारे माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचारों को व्यक्त किया उसे भी सुना। जहां तक इस अमेंडमेंट का सरोकार है इस बात पर काफी बहस गत तीन दिनों के अन्दर हो चुकी है जिसमें इनके प्वायंट्स मीट किए गए हैं फिर भी चूंकि क्लौजवाइज अमेंडमेंट चल रहा है और यह सदन के समक्ष है तो कुछ-न-कुछ कहना माननीय सदस्यों के लिए भी जरूरी था। इस अमेंडमेंट को देखने के बाद ऐसा मालूम होता है कि जो बातें तीन दिन में कही गई हैं और जो उन्होंने कहा है वह बड़ा ही कन्ट्राडिक्टरी है। वे कहते हैं कि दरभंगा की परम्परा और मुजफ्फरपुर की परम्परा एक है तो फिर यह समझ में नहीं आता कि पटना के दस माइल की इकाई और पटना जिला के और लोगों की इकाई जो अलग हो जाती है यह कैसे। अगर मुजफ्फरपुर और दरभंगा की परम्परा, संस्कृति, कल्चर एक हो सकती है तो पटना के दस माइल के लोगों की और समूचे पटना जिले के लोगों की संस्कृति दो कैसे हो जाती है। उनकी बात उन्हीं के कथन से कन्ट्राडिक्ट हो जाती है। श्री राम जनम ओझा जी ने ठीक ही कहा है कि दरभंगा के कल्चर का नमूना श्री रमाकान्त झा को नहीं समझ में आता, वहां की संस्कृति का प्रतीक माननीय मंत्री जी को समझा जाय, वहां के प्रिंसिपल और प्रोफेसर को समझा जाय, श्री सच्चिदानन्द झा जी को समझा जाय।

उनके दिल में बराबर एक हौआ लगा रहता है कि.......

अध्यक्ष—विवाद बहुत देर तक ले जायेंगे तो मैं इसे अच्छा नहीं मानता हूं। संस्कृति आदि की बात ज्यादा नहीं कहें।

श्री कृष्णकांत सिंह—मैं बहुत जल्द खत्म करूंगा, हुजूर। मैं तो मानता हूं कि सभी लोगों की परम्परा एक ही है और मैं बराबर सदन के लोगों के साथ हूं। मैं हिन्दुस्तानी और गैर-हिन्दुस्तानी की परम्परा को अलग नहीं मानता हूं।

इनको एक हौआ मालूम होता है कि कितने लोगों को सरकार अपने पक्ष में कर लेती है। इनको डर लगा रहता है और कहने लगते हैं "जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है"। इनको शक है कि महाराजाधिराज दरभंगा को हमलोगों ने अपने पक्ष में कर लिया, उन्होंने दान दिया तो हमलोगों के पक्ष में हो गए। इनका कहना है

कि उनका मन नहीं था संस्कृत युनिवर्सिटी बनाने के लिये दान देने की लेकिन अगर मैं उनके कौनसेन्स कीपर हों तो जान सकते हैं लेकिन मुझे तो मालूम है कि उन्होंने अपने मन से दान दिया, किसी के फुसलाने से नहीं, किसी के दबाव से नहीं, किसी के प्रेशर से नहीं। उन्होंने इसलिये दान दिया कि संस्कृत के क्षेत्र में जो दरभंगा का स्थान है वह जीवित रहे, उनकी रुचि थी संस्कृत में इसलिए दान दिया। मैं कहता हूं कि इस तरह के हौआ के डर से भाग कर कहां जायेंगे इसलिए इस तरह का सवाल न पैदा करें।

आपने अमेंडमेंट दिया है कि हेडक्वार्टर भागलपुर में हो। श्यामसुन्दर बाबू ने कहा कि जब चार युनिवर्सिटी बनाना ही है तो भागलपुर क्यों न नालन्दा में ले चलें। इस संशोधन को उपस्थित करते हुए वे भूल गए कि कल-परसों तक वे कहते रहे कि भभुआ के लोगों को युनिवर्सिटी के काम से भागलपुर जाना होगा। अगर श्री रमाकान्त झा जी के संशोधन को मान लिया जाय तो श्री दशरथ तिवारी को भागलपुर जाना होगा युनिवर्सिटी के काम से।

अध्यक्ष—श्री दशरथ तिवारी भभुआ से आते हैं क्या?

श्री कृष्णकांत सिंह—जी हां। बराबर वे भभुआ की बात कहते हैं।

मैं पहले भी कहता आया हूं और आज भी कहता हू कि संशोधनों को व्यावहारिक रूप में धरातल पर उतरना चाहिए। आपके राज्य में युनिवर्सिटियों की मांग है, ठीक है, आप कायम करें लेकिन ऐसे स्थान पर करें जहां कुछ डेवलपमेंट हुआ हो, जहां फैकल्टी बनायी गई है, जहां प्रगति हुई है, जहां विकास किया है। ऐसा नहीं कि विकास किया हो मुजफ्फरपुर में और चले जायं दरभंगा में। ऐसा तो नहीं कि जहां डेवलप किया है, जैसे लंगट सिंह कॉलेज यहां सबसे पुराना कॉलेज है, बहुत डेवलप्ड कॉलेज है, उसको पुराना होने के नाते और अच्छा काम करने के नाते सरकार प्रधानता देती है, उसको बन्द कर दें। मैं यह नहीं कहता कि दरभंगा में नहीं खुले, खुले, हर जगह खुले लेकिन ताकत हो तो अच्छा है, टीचर्स हो तो खोलें लेकिन आपको ताकत के भीतर ही बात करनी चाहिए।

इनके अमेंडमेंट में एक और अजीब चीज है कि एक जिले के आदमी को दो जिले में जाना पड़ेगा। जैसे मुंगेर के आधे लोगों को मुंगेर से ही काम है, आधे लोगों को भागलपुर जाना होगा। ऐसा नहीं करें, ऐसा करेंगे तो जो सुविधा है वह बिगड़ जायगी।

आपने कहा कि दरभंगा में संस्कृत युनिवर्सिटी क्यों दिया। इसलिये बिहार सरकार ने समझा कि बोर्ड ऑफ संस्कृत एजुकेशन को पटना में रखें और संस्कृत युनिवर्सिटी को दरभंगा में रखें। इसके अलावे और भी बातें कही गयी हैं। मैं श्री प्रभुनारायण राय से यह कहना चाहता हूं कि वे हर चीज को लाल पानी नहीं दें, कम-से-कम शिक्षा को तो शुद्ध रहने दें। यदि निर्मल पानी रहने देंगे तो पीने के साथ आपके दिल में कुछ ठंढी सांस चलेगी और उस पानी से स्नान करने के बाद दिमाग स्वच्छ हो जायगा। हम सब लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में एक होकर इस राज्य के लिये कुछ अच्छा काम करना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री रमाकान्त झा से निवेदन करूंगा कि वे अपने संशोधन को प्रेस नहीं करें और इसको उठा लें।

श्री रमाकांत झा—अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे संशोधन पर सदन के बहुत-से सदस्यों ने भाग लिया है और मैं सबों को धन्यवाद देता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने मेरे भाषण को ध्यान से नहीं सुना इसलिये आपत्तियां उठायी गयी हैं। मैंने कभी नहीं कहा है कि दरभंगे की संस्कृति अन्य जगहों से अलग है। मैंने इतना ही कहा है कि गंगा के पार के सभी लोगों की संस्कृति एक है और राम कृष्ण आयर की रिपोर्ट के आधार पर मैंने अपना संशोधन दिया है। मैं नहीं समझता कि हमारे हरिवंश बाबू और श्री राम जनम ओझा ने कैसे समझ लिया कि दरभंगा की संस्कृति सहरसा तथा अन्य स्थानों से अलग है। हम तो यह मानते हैं कि सारे हिन्दुस्तान की संस्कृति एक है, सारे संसार की संस्कृति एक है। हमारी परम्परा रही है कि विभिन्नता में एकता। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र यही रहा है कि "वसुधैव कुटुम्बकम्"। उप-मंत्री महोदय ने भी श्री राम जनम ओझा का समर्थन करते हुए कहा है कि यदि दरभंगे में विश्वविद्यालय बना दिया जाय तो पोस्ट-ग्रैजुएट की टीचिंग मुजफ्फरपुर से उठ जायगी। लेकिन बिल की धारा में यह बात नहीं है। पेज २८ में साफ लिखा हुआ है कि हर सेन्टर में यह हो सकता है। इसलिये दरभंगा और मुजफ्फरपुर दोनों जगह पोस्ट-ग्रैजुएट की टीचिंग हो सकती है। मैं किसी माननीय सदस्य के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता था और सद्भावना के साथ ही, सभी माननीय सदस्यों के प्रति श्रद्धा की भावना रखते हुए मैंने अपना संशोधन दिया है।

श्री कृष्णकांत सिंह—मुझे कुछ नहीं कहना है।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है :

That for sub-clause (1) of clause 3 of the Bill, the following be *substituted*, namely:—

"(1) There shall be established, with effect from the date of commencement of this Act, the following four Universities, namely:—

(a) the Patna University with headquarters at Patna and territorial jurisdiction over an area within a radius of ten miles from the office of the present Patna University;

(b) the University of Bihar with headquarters at Darbhanga and territorial jurisdiction over the whole of the Tirhut Division, the whole of the Purnea and Saharsa districts, the whole of the Begusarai and Khagaria subdivisions of Monghyr district and the whole of the portion of Bhagalpur district falling to the north of the river Ganga;

(c) the Bhagalpur University with headquarters at Bhagalpur and territorial jurisdiction over the whole of the Bhagalpur Division minus the Saharsa and Purnea districts, the Begusarai and Khagaria subdivisions of Monghyr district and the portion of the Bhagalpur district falling to the north of the river Ganga and the whole of the Patna Division minus the area within the radius of ten miles from the office of the present Patna University, and

(*d*) the Ranchi University with headquarters at Ranchi and territorial jurisdiction over the whole of the Chotanagpur Division."

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री सभापति सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं :

That in item (*b*) of sub-clause (*i*) of clause 3 of the Bill, *for* the word "Muzaffarpur", the word "Chapra" be *substituted*.

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस संशोधन पर बोलते हुए भय मालूम होता है। बहुत-से माननीय सदस्य लोगों के दिमाग में यह बात पैदा होती होगी कि चूंकि मैं छपरा का रहनेवाला हूं इसलिये मैं वहां का पक्ष ले रहा हूं, तो ऐसी बात नहीं है। जो संशोधन है वह बिल्कुल उचित है जिसे मैं आपके द्वारा इस सरकार के सामने रखता हूं। शिक्षा-मंत्री और उप-शिक्षा मंत्री कल जो भाषण दे रहे थे उसमें उन्होंने जनमत के सराहने की बात कही है कि मैं जनमत के आधार पर चार विश्वविद्यालय खोलने जा रहा हूं, शायद यह भी छपरा से आते हैं। आपको याद होगा कि सन् १९५० में राजेन्द्र कॉलेज में राजेन्द्र बाबू की जयन्ती मनाई जा रही थी जिसकी सदारत भूतपूर्व खाद्य मंत्री रफी अहमद किदवई साहब ने की थी, इतना ही नहीं हुजूर, उसमें बिहार विधान-सभा के माननीय सदस्यगण भी थे, उस जलसे में मंजूर एहसन एजाजी साहब भी थे। उसी में छपरा के लोगों ने यह प्रस्ताव लाया था कि यहां विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यालय होना चाहिये। उस प्रस्ताव में यह भी जोड़ा गया था कि राजेन्द्र बाबू छपरा के मनीषि हैं उनके नाम पर राजेन्द्र युनिवर्सिटी की स्थापना होनी चाहिये, जो संशोधन आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है उसको मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन उस प्रस्ताव में दोनों तरफ की बात थी। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं इसमें डा० पट्टाभि सीतारमैया, डाक्टर किचलू और बंगाल के भूतपूर्व मुख्य-मंत्री श्री पी० सी० घोष, जैसे लोगों ने भी भारतीय सरकार और प्रान्तीय सरकार को मेमोरैंडम दिया था कि राजेन्द्र बाबू के जन्म स्थान के जिले में विश्वविद्यालय खोला जाय। अगर जनमत की बात होती और उसका असर शिक्षा विभाग पर होता तो शायद पहले ही समझ-बूझकर यह नाम आता और छपरा में विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर खोला जाता। ऐसे तो बहुत-से लोग इसका कुछ उल्टा ही अर्थ समझ लेते हैं जैसा कि श्री रमाकान्त झा जब कह रहे थे कि दरभंगा के बारे में तो कहा गया कि वे दरभंगा की बात कहते हैं, उनका दायरा बहुत सीमित है।

तो ऐसे लोग यह सोचते हैं कि रमाकान्त जी की बात मान लेंगे तो मुजफ्फरपुर से हेडक्वार्टर दरभंगा चला जायगा। हमारे बदरी सिंह ने तो आगे बढ़कर कहा है कि श्री रमाकान्त झा का कहना गलत है लेकिन उनके संशोधन को देखें तो पता चलेगा कि उनका विचार बहुत आगे था। उनका विचार संकुचित नहीं था। बिहार युनिवर्सिटी के नाम पर मुजफ्फरपुर दे दिया। मेरी समझ में बात नहीं आती है कि जिनका दायरा इतना बड़ा है वे कैसे कहेंगे कि मुजफ्फरपुर कर दिया जाय। माननीय रामानन्द सिंह ने जो यह बात कही है और सीता-सावित्री और अनुसूया की चर्चा की है कि सीतामढ़ी में सीता जी के नाम पर ग्राम विश्वविद्यालय खोला जाय। मैं नहीं समझता हूं कि सीता जी की पैदाइश श्री रामानन्द सिंह के घर में हुई है। नाम कहीं भी हो सकता है।

अध्यक्ष—शान्ति, शान्ति। आप "सीता की पैदाइश रामानन्द सिंह के घर में हुई है" इस शब्द को वापस ले लें।

श्री सभापति सिंह—मैं वापस कर लेता हूं। मुजफ्फरपुर की खासियत क्या है, दरभंगा की खासियत क्या है? मैं समझता हूं कि अगर दावे को देखा जाय तो छपरा का दावा बहुत मजबूत होगा। शिक्षा शास्त्री रामावतार शर्मा, राहुल सांकृत्यायन और राजनीति को अगर देखें तो छपरा ने ही वृटिश गायना के प्रधान मंत्री डा० छेदी जगन, राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद और श्री जय प्रकाश को जन्म दिया और छपरा में ही आचार्य द्रोण, गौतम और दधीचि हुए हैं। इसलिए छपरा में विश्वविद्यालय होना बहुत जरूरी है। वहां जिस बोली को बोला जाता है उसको बोलने और समझने वाले लगभग एक करोड़ लोग हैं। इतना ही नहीं, बलिया, गोरखपुर, देउरिया और जिसको भोजपुर कहा जाता है एक ही संस्कृति और एक ही बोली के अन्तर्गत हैं। इसके अलावे आपको मालूम है कि दिल्ली से काठमांडू तक जो एक हाई वे रोड बनने जा रहा है वह छपरा जिले के बैकुन्ठपुर थाना से होकर काठमांडू जानेवाला है। इसलिये छपरा का औचित्य और बढ़ जाता है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि अगर हमारे संशोधन को मान लिया जाय और बिहार युनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर छपरा में हो तो बहुत अच्छा होगा। मैं राजेन्द्र युनिवर्सिटी नहीं कहता क्योंकि यह आउट ऑफ ऑर्डर हो जायगा। छपरा में युनिवर्सिटी होनी चाहिये।

श्री कृष्णकांत सिंह—माननीय सदस्य ने खुद कह दिया कि राजेन्द्र युनिवर्सिटी कहना आउट ऑफ ऑर्डर होगा तो मुझे कुछ कहना नहीं है। माननीय सदस्य शायद सुनते नहीं थे। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप राजेन्द्र यूनिवर्सिटी कायम करना चाहते हैं तो आप इस काम को कर सकते हैं। आपके पास पैसा है, ताकत है और हिम्मत है। लोगों में आप जागृति पैदा करें। आप राजेन्द्र बाबू के नाम से यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं तो छपरा में क्यों, जीरादेई में खोलें। सरकार के सामर्थ्य में जो चीज थी उसको लेकर आपके सामने रखा गया। एक बात मैं कहूंगा कि आप सीता जी की रेखा की परिधि में क्यों पड़ते हैं। आप अपनी रेखा खुली रखें। आप पौरुष वाले आदमी हैं। अभी जो चीज केन्द्रित की गयी है उसको पनपने दीजिए। एक से चार हुआ और संस्कृत को लेकर पांच। इसलिए मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वे अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री सभापति सिंह—अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से कहा गया है कि आप अपने पौरुष से युनिवर्सिटी खोलें तो मैं कहना चाहता हूं कि यहां बहुत-से धनी-मानी लोग हैं वे यदि चाहें भी तो अपने पौरुष से युनिवर्सिटी नहीं चला सकते हैं और नहीं कृष्णकांत बाबू चला सकते हैं।

अध्यक्ष—आप जनता को कभी नीचा उतार देते हैं और कभी ऊंचा।

श्री सभापति सिंह—जहांतक मुजफ्फरपुर का सवाल है वहां बहुत-सी चीजें हैं। बहुत-से सरकारी ऑफिसेज हैं।

अध्यक्ष—जो चीज जवाब के अन्दर नहीं हो उसको नहीं कहना चाहिए।

श्री सभापति सिंह—उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर को पनपने दीजिए। मैं कहता हूं कि मुजफ्फरपुर पहले ही से पनपा हुआ है। इसलिये छपरा में युनिवर्सिटी हो तो बहुत अच्छा हो।

अध्यक्ष—आप अपने संशोधन को वापस नहीं लेते हैं ?

श्री सभापति सिंह—जी नहीं।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है:

That *for* the word "Muzaffarpur", the word "Chapra" be *substituted.*

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

***Shri KAMDEO PRASAD SINGH** : Sir, I beg to move :

That in item (c) of sub-clause (1) of clause 3 of the Bill, *for* the word "Bhagalpur", occuring at the end of the first line, the words "Baidyanathdham-Deoghar" be *substituted.*

हमारे संशोधन का मतलब यह है कि भागलपुर युनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर्स देवघर में होना चाहिये। इसके कुछ कारण हैं। इसको मैं साफ कर देना चाहता हूं कि देवघर मेरा क्षेत्र नहीं है यद्यपि मेरा क्षेत्र संथाल परगना जिले के अन्दर है। देवघर में सारे देश के हर महीने, हर पखवारे में बड़े और छोटे सभी लोग आते हैं। आज वहां कई संस्थायें भी काम कर रही हैं। मैंने पहले इसका जिक्र किया था कि हिन्दी विश्वविद्यालय वहां हो। वहां के हिन्दी विद्यापीठ से हमारे सुधांशु जी और कैरव जी जिनसे हिन्दी राज्य भर में प्रभावित है उससे संबंधित हैं। वहां के विद्यार्थी आज जाकर हिन्दी साहित्य की सेवा मद्रास में कर रहे हैं। वहां पर शिक्षा का केन्द्र है। रामकृष्ण विद्यापीठ वहां पर है। बहुत-सी संस्थायें बंगाल की शिक्षा का प्रसार इसलिये वहां करना चाहती हैं जिससे देवघर उनके कब्जे में आ जाये। आज बंगाल की नजर उसपर पड़ी है और यदि आप हुक्म दें आज वह अपना विश्वविद्यालय कायम कर सकते हैं। आपने देखा है कि संथाल परगना पर लोग दावा करते हैं और उस दावा पर युनिवर्सिटी को रांची ले जाना चाहते हैं। यदि देवघर में युनिवर्सिटी हो जाती है तो मैं समझता हूं कि शिक्षा की आवश्यकता वहां पूरी हो जाती है।

दूसरी बात यह है कि जितने लोग वहां जाते हैं उनकी मुरादें पूरी होती हैं और यदि हम एक मुराद मांगते हैं वहां विश्वविद्यालय कायम करने की तो यह बड़ी बात नहीं है।

तीसरी बात यह है कि डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद के बारे में कहा गया। मंत्री महोदय ने भी कहा कि उनके आवास स्थान पर एक युनिवर्सिटी की स्थापना हो तो मैं आपको दिखलाना चाहता हूं कि स्वर्गीय शशीभूषण राय का वहां जन्म स्थान है जिनके चलते संथाल परगना में इतना बड़ा नेतृत्व हो सका। यदि वहां एक विश्वविद्यालय की स्थापना

हो जाती है तो उनकी स्मृति भी कायम हो जाती है। रांची से भी देवघर बहुत दूर नहीं है और भागलपुर से भी बहुत दूर नहीं है। आने-जाने की भी सुविधा है। मेन लाइन के बगल में देवघर है। वहां पर बहुत अच्छे-अच्छे जज और मेन आफ लेटर्स रिटायर होकर रहते हैं। वहांपर उन्होंने घर बना लिया है और जितने भी महानुभाव हैं वहां अगर रहेंगे तो उनके बाल बच्चों का हेडक्वार्टस बन जायगा। तो जब सभी की मुरादें वहां पूरी होती हैं तो बाबा महादेव के नाम पर और स्वर्गीय शशीभूषण बाबू की स्मृति के नाम पर भी वहां विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय। सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासियों के लिये पैसा तो आप देते हैं लेकिन उनका उत्थान नहीं होता है। देवघर में विश्वविद्यालय का आफिस रखियेगा और कुछ धार्मिक उन्नति की शिक्षा दी जायगी तो उससे आदिवासियों की उन्नति होगी और आपका पैसा भी उचित रूप से खर्च होगा।

भागलपुर युनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर्स देवघर में रहना जरूरी है। मैं समझता हूं कि हमारे सदन के सभी सदस्य अपनी राय देकर इस प्रस्ताव की ताईद करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री कृष्णकांत सिंह—माननीय सदस्य श्री कामदेव प्रसाद से मैं यही कहूंगा कि हमारा जो आर्गूमेंट रीजनल हेडक्वार्टर्स के बारे में मुजफ्फरपुर के लिए है वही आर्गूमेंट भागलपुर के लिये भी है। मुजफ्फरपुर, रांची और भागलपुर में रीजनल हेडक्वार्टर्स रखने का एक ही आर्गूमेंट रखा गया है। टी॰ एन॰ जे॰ कॉलेज, भागलपुर में है और वहां की अच्छी पढ़ाई है। भागलपुर में एग्रीकल्चरल कालेज, सबौर है।

वैद्यनाथधाम पूजा-पाठ का स्थान है और वैसे पवित्र स्थान में खूब पूजा की जाय, मैं यही कहूंगा। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य आंख मूंद कर कहें कि वे अपना प्रस्ताव उठा लेते हैं।

श्री कामदेव प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब तो हुआ ही नहीं।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है :

That in item (c) of sub-clause (i) of clause 3 of the Bill, *for* the word "Bhagalpur" occurring at the end of the first line, the words "Baidyanathdham-Deoghar" be *substituted*.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री रामचरित्र सिंह—क्या हमलोगों को ५ बजे तक बैठना होगा।

अध्यक्ष—हमलोगों को खत्म करना है। एक क्लॉज और हो जाय।

श्री शकूर अहमद—हुजूर ४ से बेशी हो गया।

अध्यक्ष—श्री हरिचरण सोय मूव करें।

Sri HARI CHARAN SOY : Sir, I beg to move :

That in item (c) of sub-clause (1) of clause 3 of the Bill, the words "the whole of" occurring in line 2, be *deleted* and after the words "Bhagalpur Division" occurring in line 3, the words "excluding the district of Santhal Parganas" be *added*.

अध्यक्ष महोदय, मैं इस अमेंडमेंट को इसलिये लाना चाहता हूं ताकि संताल परगना के कॉलेजेज प्रोपोज्ड भागलपुर युनिवर्सिटी के जुरिस्डिक्शन में चले जायं। इस तरह का प्रोपोजल मैं क्यों दे रहा हूं? इसका कारण यह है कि सरकार भी कहती है कि वह रीजनल बेसिस पर युनिवर्सिटी खोलने जा रही है। मेरा कहना है कि पर्टिकुलर रीजन को एजुकेशनल नीड्स हैं और उनको पूरा होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, जो भागलपुर युनिवर्सिटी होगी, हम यह महसूस करते हैं कि उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर चले जाने से संथाल परगना के नीड्स साइड ट्रैक्ट हो जायेंगे।

हमारा ख्याल था कि जब रांची युनिवर्सिटी कायम होने जा रही है तो वह उसके इलाके के ४० लाख आदिवासियों की शिक्षा के विकास का इंतजाम करेगी और वहां के लोगों के इस जरूरियात को पूरा करेगी। शिक्षा का जहां तक सवाल है लैंग्वस्टिकली और रेजीनली संताल परगना भी आदिवासी एरिया है और उस जिले के कॉलेजों को भी रांची युनिवर्सिटी में ही मिला देना चाहिये। अगर संताल परगना के कॉलेजों को भागलपुर युनिवर्सिटी के साथ रखा जायेगा तब वहां के सिनेट में उनका कोई इम्पोर्टेन्स न रहेगा। इसलिये वहां के कॉलेजों को रांची युनिवर्सिटी में ही दे देना चाहिये।

एक दूसरी बात यह है कि रांची युनिवर्सिटी में अभी १५ या १६ कॉलेज होंगे जहां पर भागलपुर युनिवर्सिटी में ३५ कॉलेज होंगे। इसका नतीजा यह होगा कि भागलपुर या दूसरी यूनिवर्सिटियों के कॉलेजेज के प्रिन्सिपल लोगों को वहां की युनिवर्सिटी में बहुत कम अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलेगा। प्रिन्सिपल और डीन को एक तिहाई सीट मिलेगी और रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स को ५ सीटें मिलेंगी। अगर उनको रांची युनिवर्सिटी में मिला दिया जाता है तो वहां के कॉलेजेज को अधिक अनुपात में रिप्रेजेन्टेशन मिलेगा। अगर रांची युनिवर्सिटी में ६ वर्ष में उनको मौका इसके लिये मिलेगा तो भागलपुर में रहने से १२ वर्ष में यह मौका मिलेगा। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि संताल परगना के सभी कॉलेजेज को रांची युनिवर्सिटी में मिला दिया जाय और उस युनिवर्सिटी में एन्थ्रोपोलोजी, ट्राइबल लाइफ और टेक्नोलोजी को खास तौर से स्पेशलाइज किया जाय। छोटानागपुर से संताल परगना मिलता-जुलता है और इसलिये यह जरूरी है कि वहां के कॉलेजेज को रांची युनिवर्सिटी के अन्दर रखा जाय। मेरा जो संशोधन इस पर है उसको सरकार इसका ख्याल करके मान लेगी।

श्री इगनेस कुजूर—अध्यक्ष महोदय, श्री हरिचरण सोय का जो संशोधन है उसका

मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। संताल परगना का क्षेत्र और छोटानागपुर का क्षेत्र एक ही तरह का है और दोनों जगहों में आदिवासी लोग रहते हैं। जब रांची में छोटानागपुर के लोगों के लिये एक अलग युनिवर्सिटी खुल रही है तो उससे फायदा उठाने के लिये संताल परगना के आदिवासी लोगों को भी मौका मिलना चाहिये। दोनों जगहों के लोगों की संस्कृति एक सी है और दोनों जगह के लोग अंडरडेवलप्ड माने जाते हैं। जब हमारे रमाकांत झा मिथिला युनिवर्सिटी की बात कर रहे थे

तो उन्होंने कहा था कि दरभंगा और मुजफ्फरपुर का कल्चर एक ही है और सभी जगह में एक भारतीय संस्कृति है। जहां तक सारे भारत का सवाल है, सारे भारत की एक ही संस्कृति है लेकिन जब बंगाल, बिहार या उड़ीसा की बात आवेगी तब तो वह खत्म हो जाती है और आप यह जरूर कहेंगे कि बंगाल की बंगाली संस्कृति है और उड़ीसा की उड़िया संस्कृति है और बिहार की विहारी संस्कृति है। इसी तरह से जब छोटानागपुर का या ट्राइबल एरिया का सवाल आता है तो हम यह कह सकते हैं कि संताल परगना और छोटानागपुर की एक संस्कृति है और दोनों जगहों की शिक्षा के मामले में एक ही समस्या है। जब आप चार युनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं तब दोनों जगहों के कॉलेजेज को एक हो युनिवर्सिटी में रखना चाहिये। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे यही मालूम होगा कि आप यहां पर चार युनिवर्सिटी बना कर सिर्फ अपने लोगों को सिनेट और वाइस-चान्सलर के पद पर रखना चाहते हैं। ऐसा होने से तो आपकी नीति साफ नहीं कही जायेगी। ऐसा करके तो ट्राइबल क्षेत्र को आप दो भागों में बांट कर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान वाली नीति को अपना रहे हैं। ऐसा करके आप उनके कल्चर और संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। अगर आप यह नहीं चाहते हैं तब तो आपको छोटानागपुर और संताल परगना के कॉलेजेज को एक युनिवर्सिटी के अन्दर रखना चाहिये और वहां के लोगों की शिक्षा के विकास की बात को सोच कर इस संशोधन को मान लेना चाहिये।

श्री कामदेव प्रसाद सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री हरिचरण सोय के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मुझे इस बात का एतराज नहीं था कि संताल परगना भागलपुर में जाय अथवा रांची में लेकिन जो भावना चल रही है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि संताल परगना रांची युनिवर्सिटी में नहीं जाय। हमारी जो परम्परा है वह बहुत-कुछ भागलपुर से ही मिलती-जुलती है। भागलपुर हमलोगों को आने-जाने की सुविधा है। भागलपुर में ही हमलोग फूले-फले हैं, पनपे हैं। यह बात सही है कि बहुत सी बातों में हमारे आदिवासी भाईयों की संस्कृति उनकी संस्कृति से मिलती-जुलती है, लेकिन वे हैं ४६ प्रतिशत तो हमलोग हैं ५४ प्रतिशत। वे लोग झारखंड के नाम से पुकारे जाते हैं, लेकिन हमलोग नहीं। हम तो इतना तक कहने के लिये तैयार हैं कि हमारे यहां के बहुत-से लोगों ने रांची को देखा तक नहीं है। मैं सदन का सदस्य होने के नाते कह सकता हूं कि हमारी जिन्दगी बाहर में ही बीती है और मैंने भी आज तक रांची नहीं देखा है। जब बंगाल बिहार का झगड़ा चला तो उस समय भी नाजायज फायदा उठाया गया। बंगाल वाले चाहते हैं कि संथालपरगना को वे ले लें और संस्कृति के नाम पर झारखंड वाले चाहते हैं कि वे अपने में मिला लें। लेकिन वे इस मंशा में भी फेल कर गए। बिहार को दो टुकड़े में बांटने के मामले में जब वे फेल कर गए तब उनलोगों ने झारखंड कह कर दुहाई दी। इस प्रकार से वे बिहार का नक्शा बनाना चाहते थे।

श्री हरिचरण सोय—मेरा प्वायन्ट ऑफ ऑर्डर है। वह यह है कि इस प्रस्ताव में झारखंड की बात नहीं है, फिर भी झारखंड की बात कर रहे हैं जो इर्रेलीवेन्ट है।

अध्यक्ष—आप इर्रेलीवेन्ट बात न कहें।

श्री कामदेव प्रसाद—तो जहां तक आने-जाने की सुविधा का सवाल है, हमारा सुझाव है कि संथाल परगना को भागलपुर यूनिवर्सिटी मे ही रहने दिया जाय और इसी बात को मैं चाहता हूं। मेरा इतना ही कहना था।

*श्री राघवेन्द्र नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री हरिचरण सोय के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आपने जो राजनीतिक स्वप्न देखा उसकी पूर्ति यूनिवर्सिटी निर्माण के समय करना चाहते हैं। झारखंड बहुत पुराना नारा है और युनिवर्सिटी के निर्माण के समय ठीक नहीं है। राजनीतिक बात की बुनियाद को इस समय लाना बहुत ही भयावह है। संथाल परगना अथवा ट्राइवल एरिया के जो भी विद्यार्थी आज तक पढ़ कर निकले हैं वे भागलपुर के टी० एन० जे० कॉलेज से पढ़ कर निकले हैं और उनको किसी बात की रुकावट नहीं हुई। अगर मर्दुमशुमारी की जाय तो यह पता चल जायेगा कि रांची कालेज से पढ़कर निकलने वाले नाममात्र के ही छात्र होंगे लेकिन भागलपुर से शिक्षा पाये हुए विद्यार्थी बहुत ज्यादा निकलेंगे।

संशोधन को मान लेने से प्रान्त के विकास के लिये बड़ा बाधक होगा और घातक होगा। वे प्रान्त को डिवाइड करना चाहते हैं और इस तरह गुमराह करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा विकास का कार्य बहुत प्रशस्त है। संथाल परगना को भागलपुर के साथ रहना जरूरी है और यह बहुत-से लोगों के लिये लाभप्रद होगा। कुछ ही के लिये राजनीति में उलट-पुलट हो सकती है।

कल्चर की बात कही जाती है और सारे हिन्दुस्तान में कल्चर के नाम पर लोग गुमराह कर रहे है। कोई मिथिला, कोई झारखंड, और कोई भोजपुरी कल्चर की बात करता है। न जाने यहां कितने कल्चर हैं। मैं तो कहूंगा भगवान वह दिन जल्द लायें कि एक ही कल्चर सारे हिन्दुस्तान में हो और हमलोग एक ही कल्चर को माने और एक साथ ही मरना-जीना सीखें। (थपथपी)

*श्री शत्रुघ्न बेसरा—अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं। संथाल परगना भागलपुर डिवीजन में है। लेकिन भागलपुर डिवीजन में रहते हुए भी यहां की भाषा संस्कृति और कुछ कानून ऐसे हैं जो हर जगह इससे मिलते-जुलते नहीं हैं बल्कि संथाल परगना की भाषा और संस्कृति छोटानागपुर से मिलती-जुलती है। हम संथाल परगना से आये हैं और हमारे दोस्त, श्री कामदेव सिंह जी भी आये हैं।

अध्यक्ष—एक ही जगह से आप दोनों आयें हैं, लेकिन मतभेद क्यों है?

श्री शत्रुघ्न बेसरा—यही तो मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय वे चाहते हैं कि देवघर में हो और संथाल परगना के कॉलेजेज को रांची युनिवर्सिटी में नहीं रखा जाय।

अध्यक्ष—संथाल परगना में दो तरह के लोग रहते हैं?

श्री शत्रुघ्न बेसरा—नहीं लोग एक ही तरह के हैं लेकिन उसमें ब्रान्चेज हैं और हैं वे आदिवासी। हुजूर, आप इसे नहीं मानते हैं तो गलत करते हैं। मैं अब यह कहना चाहता हूं कि देवघर में वे क्यों हेडक्वार्टर्स रखना चाहते हैं। देवघर में बेशी परसेंटेज आदिवासियों का है और हालत यह है कि जब वे दूकानों पर कुछ चीज खरीदने जाते हैं तो उन्हें कुत्तों की तरह भगाया जाता है।

श्री कामदेव प्रसाद सिंह—मैं यह बतला दूं कि न तो वहां मेरा घर है और न वह मेरी कंस्टिच्युएन्सी है।

अध्यक्ष—आप कुत्ता की बात क्यों बोलते हैं। ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिये जससे झगड़ा पैदा हो। आपको युनिवर्सिटी पर बोलना है और आप यहां व्यवहार की बात कह रहे हैं कि हरिजनों के साथ बड़ी जाति के लोगों का व्यवहार ठीक नहीं है।

श्री शत्रुघ्न बेसरा—कुत्ता को लोग अच्छा समझते हैं लेकिन आदिवासियों को उतना भी नहीं मानते हैं।

मैं यह कह रहा था हुजूर कि वहां आदिवासी और दूसरे लोग हैं वहां यही हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्र विकास के साथ युनिवर्सिटी का संबंध है तो इसके लिये जरूरत है कि उस एरिया की जितनी समस्याएं हैं उनको हल करने के लिये ऐसे लोग तैयार किए जाएं जो तमाम बातों पर विचार कर सकें। तो हमारा यह कहना था कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में शिक्षा की जो व्यवस्था है वहां हम देखते हैं कि मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि की कोई व्यवस्था नहीं है और इन चीजों के शिक्षा की आदिवासियों में बहुत जरूरत है। उनके लिये कोई मेडिकल शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, डाक्टर के यहां लोग जाना पसन्द नहीं करते हैं इसलिये कि वे नहीं जानते हैं। तो युनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज का प्रबन्ध नहीं होगा तो लोग कैसे जानेंगे। इस तरह की और भी बहुत-सी आवश्यक बातें हैं जिनकी ओर ध्यान देने की जरूरत है।

*श्री शीतल प्रसाद भगत—अध्यक्ष महोदय, मैं हरिचरण बाबू के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज से नहीं बल्कि बराबर से संथाल परगना भागलपुर डिवीजन में रहा है और हमारी सरकार ने कानून बनाया है कि डिविजनल बेसिस पर युनिवर्सिटी खोली जाय यानी भागलपुर, पटना, रांची और तिरहुत डिवीजन में युनिवर्सिटी स्थापित हो। तो जब डिविजनल बेसिस पर ऐसा किया जा रहा है तो मैं नहीं समझता कि संथाल परगना के भाई क्यों चाहते हैं संथाल परगना में युनिवर्सिटी हो, देवघर में हेडक्वार्टर्स हो। क्या वहां जाने से युनिवर्सिटी का रोबदाब और बढ़ जायगा?

मैं यह बतला देना चाहता हूं कि संथाल परगना के जितने लड़के हैं वे ज्यादातर टी० एन० जे० कॉलेज में पढ़ते हैं और रांची में पढ़ने के लिये नहीं जाते। अगर फीगर लिया जाय तो मालूम हो जायगा कि भागलपुर में ही लोगों ने पढ़ा है। इसलिये भी वहां रहने में उनलोगों के लिये कोई दिक्कत नहीं है।

दूसरी बात कल्चर की कही जाती है। अगर ऐसा हुआ तो हर जगह एक-एक युनिवर्सिटी कायम की जा सकती है।

भारतवर्ष एक देश है और यह मानना होगा कि यहां का कल्चर एक ही है। अगर आदिवासी कहें कि हमलोगों के लिये अलग विश्वविद्यालय हो क्योंकि हमलोगों का कल्चर अलग है तब तो इसका समाधान ही नहीं हो सकता है। हमलोगों का पहले से ही प्रस्ताव रहा है कि भागलपुर में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। डिविजनल बेसिस पर युनिवर्सिटीज कायम कर रहे हैं तो संथाल परगना भागलपुर डिवीजन में होने के नाते भागलपुर युनिवर्सिटी में ही रखना जरूरी है। कुछ पोरशन भागलरपुर डिवीजन का जैसे सहरसा, पूर्णिया, बेगूसराय, खगड़िया को भागलपुर से निकालने की बात की गई वह बिल्कुल गलत थी इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

*श्री उमेश्वर प्रसाद—अध्यक्ष महोदय, श्री हरिचरण सोय ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं चूंकि युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने, श्री राधाकृष्णन् कमीशन ने यह रिपोर्ट दी है कि रिजनल बेसिस पर युनिवर्सिटीज की स्थापना होनी चाहिये, यह कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि युनिवर्सिटी की स्थापना डिविज़नल बेसिस पर होनी चाहिये। इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाय तो संथाल परगना को रांची युनिवर्सिटी में होना चाहिये।

अध्यक्ष—रिजनल माने टेरिटोरियल होता है, कल्चर कहां आता है ?

श्री उमेश्वर प्रसाद—जैसा राघवेन्द्र बाबू ने कहा है संथाल परगना के ज्यादा विद्यार्थी भागलपुर में पढ़े हैं, यह गलत है। गोड्डा, पाकुड़, राजमहल आदि के जितने लड़के हैं उसमें ५० प्रतिशत लड़कों ने हजारीबाग के सेन्ट कोलम्बस कॉलेज में और सिंहभूम कॉलेज में शिक्षा पाई है। आदिवासी स्टूडेन्ट्स एक परसेन्ट भी भागलपुर में नहीं पढ़े हैं वे बंगाल के बीरभूम में और कछ लोग पटने में पढ़ रहे हैं, भागलपुर में शायद ही कोई पढ़ने जाता है।

इसके अलावा कहा गया है कि शिडयूल्ड एरिया को एक तरफ कर दिया जाय। जैसा कामदेव बाबू ने कहा है कि भागलपुर के साथ संथाल परगना रहा है लेकिन ऐसी बात नहीं है। संथाल परगना का देवघर और गोड्डा का पोरशन बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में रहा है। विशेष कर आदिवासियों को पोस्ट-ग्रैजुएट स्टडी के लिये, मेडिकल के स्टडी के लिये भागलपुर जाना पड़ेगा जहाँ होस्टल में सीट मिलने में दिक्कत होगी लेकिन यदि यह रांची में रहेगा तो आदिवासियों को दिक्कत नहीं होगी। होस्टल में सीट नहीं मिलने पर भी आदिवासी संबंधी के घर रह सकते हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि संथाल परगना को रांची युनिवर्सिटी में मिला दिया जाय।

श्री कृष्णकान्त सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने समझा था कि श्री रमाकान्त झा के संशोधन के बाद ऐसे प्रस्ताव पर ज्यादा बहस नहीं होगी चूंकि अभी इस पर बहुत-से अमेंडमेंट हैं जिसे हमलोग कम वक्त में भी काम चला लेंगे लेकिन हम देखते हैं कि एक ही बात बराबर कहते चले जा रहे हैं लोग। एक बात साफ कर दूं। तिरहुत कमिश्नरी, भागलपुर कमिश्नरी, छोटानागपुर कमिश्नरी, पटना कमिश्नरी का जहां हेडक्वार्टर होगा जो डिविजनल हेडक्वार्टर है वहीं इन युनिवर्सिटीज का भी हेडक्वार्टर होगा। इन बातों को कई दिनों से कहा जा रहा है लेकिन घुम फिर कर वहीं लोग पहुंच जाते हैं। प्रस्ताव है कि संथाल परगना को भागलपुर युनिवर्सिटी से निकाल कर रांची में मिला दिया जाय और प्रस्ताव आया है सिंहभूम से, विरोध हुआ संथाल परगना से, विरोध हुआ भागलपुर से और कहीं-कहीं से सपोर्ट भी हुआ। किस बुनियाद पर सपोर्ट हुआ और किस बुनियाद पर विरोध हुआ इसे देखें। आपको सोचना है कि हम किस रूप में अपने युनिवर्सिटी का विकास करें। जब माननीय सदस्य श्री हरिचरण सोय बोल रहे थे तो उनकी बातों को मैं सुन रहा था और मैं उनको एक बात की ओर आगाह करना चाहता हूं। अभी जो रूप-रेखा इस विधेयक के अन्दर है वह मंजूर हुई है। पटना डिवीजन में, भागलपुर डिवीजन में, मुजफ्फरपुर डिवीजन में करीब-करीब कॉलेजों की संख्या बराबर हो गई है। अगर हम संथाल परगना को निकाल

देंगे तो भागलपुर की संख्या कम हो जायगी और उसे निकाल कर रांची में जोड़ने से फायदा भी क्या होगा? जहां तीन डिवीजन में बराबर-बराबर कॉलेज हैं वहां एक में कम हो जायगा। रांची में विकास हो गया है उसके बाद विकास नहीं होनेवाला है ऐसी बात नहीं है, यह ठीक है कि अभी रांची डिवीजन में कालेजों की संख्या कम है, इसे बढ़ाना है लेकिन हमारे जानते भागलपुर में, पटने में और तिरहुत में सतर्कता से काम लेना है। ऐसी अवस्था में एक जगह से दूसरी जगह जोड़ने में एक तो जो एक करोड़ का हिसाब रखा गया है वह गड़बड़ा जाता है, फिर से हिसाब करना होगा और दूसरा कॉलेजों के नम्बर पर ध्यान रखना होगा।

एक तरफ तो आप मांग करते हैं रोटेशन से डीन आदि में पहुंचने में देर होगी, बहुत-से लोग नहीं पहुंच पाते हैं और दूसरी जगह आप ज्यादा कॉलेज चाहते हैं जिसमें पहुंचने में और भी देर होगी। यह बात हमारे समझ में नहीं आई, बिल्कुल कन्ट्राडिक्ट्री है आपकी बात। रांची में अभी कम कालेज हैं, जब डिपार्टमेंट खुलेंगे, युनिवर्सिटी बनेगी, फैकल्टी होगा तो नैचुरली संख्या बढ़ेगी ही। जो सुविधा अभी मिलने जा रही है उसे भी आप छीन लेना चाहते हैं, यह विरोधाभास मालूम होता है। जैसा बदरी बाबू ने कहा है कि भभुआ से चलें तो भागलपुर पहुंच जायंगे उसी तरह साहेबगंज से रांची या पटना जाने में दिक्कत है। इसलिए दूरी का ख्याल करके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का ख्याल रखते हुए, कॉलेजों का संख्या की ख्याल रखते हुए हम समझते हैं कि जो बात तय की गई है कि भागलपुर में संथाल परगना को रहना चाहिये, यह ठीक है।

सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा जो प्रोपोजल है कि भागलपुर युनिवर्सिटी के अन्दर संथाल परगना को रहना चाहिये यही वाजिब है। आशा है कि माननीय सदस्य अपने संशोधन को उठा लेंगे।

श्री हरिचरण सोय—सरकार के जवाब में हम एक चीज देखते हैं कि रिजिनल बेसिस पर जो कॉलेज बनना चाहिये उसको डिविजनल बेसिस पर बना रहे हैं। सरकार यदि इसको सिंसियरली करना चाहती तो देखना चाहिये था कि कौन इलाका किस रिजन में पड़ता है। दूसरी चीज यह है कि इस प्रस्ताव के संबंध में बोलते हुए राघवेन्द्र बाबू ने कहा कि इसके जरिये वे झारखंड की मांग को रखते हैं। उनको हर जगह भूत दिखाई पड़ता है। सच्ची बात तो यह है कि एजुकेशन के संबंध में सारे ट्राइबल लोग एक युनिवर्सिटी के अन्दर रहें। यही मैं चाहता हूं।

अध्यक्ष—सही बात है कि वहां आदिवासी हैं।

श्री हरिचरण सोय—वे एक और रौंग कंसेप्शन (wrong conception) से सफर करते हैं कि संथाल परगना के विद्यार्थी छोटानागपुर के कालेजों में नहीं पढ़ते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि सेंट कोलम्बस, गिरिडीह और रांची कॉलेज में बहुत-से विद्यार्थी वहां से पढ़ने के लिये जाते हैं क्योंकि आने-जाने की सुविधा है इसलिये मैं अपने प्रस्ताव को उठाने में असमर्थ हूं।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है :

That in item (c) of sub-clause (1) of clause 3 of the Bill, the words "the whole of" occurring in line 2, be *deleted* and *after* the words "Bhagalpur Division" occurring in line 3, the words "excluding the district of Santhal Parganas" be *added*.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

Shri RAM JANAM OJHA : Sir, I beg to move :

That the proviso to sub-clause (1) of clause 3 of the Bill, be *deleted*.

सभा शुक्रवार, तिथि ३ जून, १९६० के ८ बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की गई।

इनायतुर रहमान,
सचिव,
बिहार विधान-सभा।

पटना :
दिनांक २ जून, १९६०।